



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 925]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 14, 2017/कार्तिक 23, 1939

No. 925]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 14, 2017/KARTIKA 23, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2017

सं. 41/2017-केन्द्रीय कर(दर)

सा.का.नि. 1387(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 673(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 2.5% में,-

(ii) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

*1	0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210	सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए;
----	--	--

(ii) क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2	0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308	सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,- (क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए";
-----------	---	---

(iii) क्रम संख्या 3,4,5,6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, "सभी वस्तुएं [उनसे भिन्न जो ताजी और चिल्ड हो], और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) में शब्द "प्रशीतित" के पश्चात "और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "मेनीयॉक, आरारोड, स्लेप, जेरूसलेम, आरटीचोक्स, शकरकंद और इसी प्रकार के मूल और कंद, जिसमें स्टॉर्च और इंसुलिन के अवयव बहुत अधिक होते हैं, प्रशीतित, चाहे वे कटे हो या नहीं या गोलियों के रूप में हो और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

(ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्यागकिया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 27 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "काजू नट्स, चाहे ये छिलके में हो या छिलका रहित, शुष्क नारियल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "छिलका युक्त या छिलका रहित" के पश्चात "और युनिट कंटेनर में हो और,-

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नेम लिखा हो; या

- (ख) जिन पर ऐसा ब्रांड नेम लिखा हो जिनके आधार पर किसी विधिक न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का दावा प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो [उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नेम के बारे में कार्यवाही के दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया गया हो], अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रम संख्या 58 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "मील, पाउडर" के पश्चात शब्द "आटा" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (xi) क्रम संख्या 66 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द "सीड क्वालिटी से भिन्न" को लोप किया जाएगा;
- (xii) क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- | | | |
|-----|------------|---|
| "72 | 1210 20 00 | होप कोन, पीसे हुए, पाउडर बने या गोलियों के रूप में; ल्युपुलिन"; |
|-----|------------|---|
- (xiii) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा
- | | | |
|-----|---|--|
| "78 | 1404
[1404 90 10,
1404 90 40,
1404 90 50,
1404 90 60] | ऐसे वनस्पति उत्पाद जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट या शामिल न हो जैसे कि काटन लिंटर्स, सोप नट्स, हार्ड सीड्स, पिप्स, हुल्स एंड नट्स जो कि मूल रूप से नक्कासी के काम आता है, रूद्राक्ष बीज [बीड़ी बनाने के काम आने वाला पत्ता (तेंदु का पत्ता) पान, भारती कत्था, कोकोनट शेल, जिसको छिला न गया हो]"; |
|-----|---|--|
- (xiv) क्रम संख्या 91 में, कॉलम (3) में शब्द "खाण्डसारी चीनी" को लोप किया जाएगा ;
- (xv) क्रम संख्या 92 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "पलमाइयारा शुगर, मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुलिया, इलाइची दाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, चीनी से निर्मित मखाना, तिल रेवड़ी, मूंगफली मिठाई" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 100 क में, कॉलम (3) में शब्द "भुना चना" के पश्चात शब्द "इडली/डोसा बैटर, चटनी पाउडर" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- | | | |
|------|------|--|
| "111 | 2503 | सभी प्रकार के सल्फर, उत्पादित सल्फर, प्रेसीपिटेटेड सल्फर और कोलाइडल सल्फर से भिन्न"; |
|------|------|--|
- (xviii) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में शब्द, अंक और अक्षरों "प्राकृतिक बोरिक एसिड, जिसमें H3BO3 की मात्रा 85% से अधिक न हो" के बाद कोष्ठक और शब्द "(शुष्क भार के आधार पर संगणित)" को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xix) क्रम संख्या 156 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- | | | |
|-------|------|------------|
| "156क | 2621 | फ्लाइ ऐश"; |
|-------|------|------------|
- (xx) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
- | | | |
|------|------------|--|
| "189 | 4011 30 00 | नए न्यूमेटिक टायर्स, जो रबर के बने हो और एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हो"; |
|------|------------|--|
- (xxi) क्रम संख्या 197 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

197क	4107	गोकुलीय, जिसके अंतर्गत भैंस भी है या अश्व कुलीय प्राणियों का चर्मशोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या है नहीं, उस चमड़े से भिन्न जो शीर्ष 4114 में है
197ख	4112	भेड या मेमने का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत भेड या मेमने का पार्चमेंट – प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है
197ग	4113	अन्य प्राणियों का चर्म शोधन या अपघर्षण करने के पश्चात् और निर्मित चमड़ा, जिसके अंतर्गत पार्चमेंट – प्रसाधित चमड़ा भी है, जिस पर ऊन या रोम नहीं है, चाहे विपाटित है या नहीं उस चमड़े से भिन्न, जो शीर्ष संख्या 4114 में है
197घ	4114	सांभर (जिसके अंतर्गत संयोजन सांभर है) चमड़ा, पेटेंट चमड़ा और पेटेंट पट्टलित चमड़ा; धात्विकृत चमड़ा
197ङ	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार वाली संरचना, चमड़ा, सिल्लियों, चादरों या पट्टी में, चाहे रोल में है या नहीं ; चमड़े या संरचना चमड़े की कतरने और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है ; चमड़ा धूल, चूर्ण और आटा”;

(xxii) क्रम संख्या 218क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

218ख	5607	जूट, रज्जू, क्रायर डोरियाँ, या रस्सियां
218ग	5608	डोरी, रज्जु या रस्सा के ग्रंथित जाल, जो टेक्सटाइल सामग्री के विनिर्मित मत्स्यन जाल और अन्य विनिर्मित जाल हैं
219घ	5609	क्वयर उत्पाद”;

(xxiii) क्रम संख्या 219क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

219कक	5806	संकीर्ण व्यूतित फेब्रिक, शीर्ष सं. 5807 के माल से भिन्न ; संकीर्ण फेब्रिक, जिसमें आसंजक के माध्यम से समंजित बाना के बिना ताना (बोल्डक्स) है”;
--------------	-------------	---

(xxiv) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

224	63 [6309	अन्य निर्मित टेक्सटाइल वस्तुएं, जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक न हो”;
------------	-----------------	--

(xxv) क्रम संख्या 224 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

224 क	6309	उतरण और जीर्ण टेक्सटाइल वस्तुएं; चिथड़े”;
--------------	-------------	---

(xxvi) क्रम संख्या 225 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

225 क	6815	फ्लाइ ऐश ईटें और फ्लाइ ऐश समुच्चय जिनमे फ्लाइ ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो”;
--------------	-------------	--

(xxvii) क्रम संख्या 230 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"230क	8407 10 00, 8411	एयरक्राफ्ट इंजन";
-------	---------------------	-------------------

(xxviii) क्रम संख्या 234 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मेंजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची I में सूचीबद्ध, इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनहे पूरे या कुछ हिस्से में, उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में छोड़ा गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा";

(xxix) क्रम संख्या 257क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"257ख	9401 10 00	एयरक्राफ्ट सीट्स";
-------	------------	--------------------

(xxx) क्रम संख्या 259क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"259क	4016 या 9503	प्राकृतिक रबर लेटेक्स से बने खिलौने वाले गुब्बारे
259ख	9507	मत्स्य कांटा
259ग	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो" ;

(ख) अनुसूची-II-6% में-

(i) क्रम संख्या 2,3,4,5,6,7,8,9,10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"11	0402 91 10, 0402 99 20	संघनित दुग्ध";
-----	---------------------------	----------------

(iii) क्रम संख्या 14 में, कॉलम (3) में "और नारियल बुरादा या लच्छे" को लोप किया जाएगा ;

(iv) क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:

"32क	1701 91, 1701 99	सभी वस्तुएं, जिसमें परशोधित चीनी भी शामिल है जिसमें फ्लेवर या कलरिंग के अवयव शामिल है, शुगर क्यूब्स, उनसे भिन्न जिन पर 5 प्रतिशत या शून्य दर से जीएसटी लगता है
32ख	1902	पास्ता चाहे पकाया या स्टफ्ड किया गया हो या नहीं (मांस या अन्य पदार्थों से युक्त) या अन्य प्रकार से तैयार किया गया हो जैसे कि स्पाघेट्टी, मकरोनी, न्यूडल्स, लेसाग्रिक, नूची, रेवोली, केनीलोनी, कसकस, चाहे ये तैयार किए गये है या नहीं";

(v) क्रम संख्या 43 में, कॉलम (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "यीस्ट(सक्रिय या निष्क्रिय)" उनसे भिन्न जो एककोशीकिय सूक्ष्म जीव, मृत(लेकिन जो कि शीर्ष 3002 के वैक्सीन में शामिल नहीं है) है" तैयार वेकिंग पाउडरस" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“44	2103	सभी वस्तुएं, जिसमें सॉसेज और उसके लिए संबंधित निर्मितियाँ, कॉन्डीमेंट्स और मिश्रित सीजनिंग्स; मस्टर्ड फ्लोर तथा मील और तैयार मस्टर्ड, करी पेस्ट, मायोनेस और सलाद ड्रेसिंग्स”;
-----	------	---

(vii) क्रम संख्या 45 में, कॉलम (3) में, “इडली या डोसा बेटर समेत” को लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“46क	2106 90 91	डायबेटिक फूड”;
------	------------	----------------

(ix) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“57 क	2804 40 10	चिकित्सा ग्रेड के ऑक्सीजन”;
-------	------------	-----------------------------

(x) क्रम संख्या 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“70	3215	सभी वस्तुएं जिसमें प्रिंटिंग इंक, राइटिंग या ड्राइंग इंक या अन्य इंक शामिल है चाहे ये संघनित ठोस हो या नहीं, फाउंटेन पैन इंक, बॉल पैन इंक”;
-----	------	---

(xi) क्रम संख्या 71,86,87,88 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 89,90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“89	4202 22 20	हैंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स, सूती
90	4202 22 30	हैंडबैग्स और शॉपिंग बैग्स, जूट के”;

(xiii) क्रम संख्या 139 में, कॉलम (3) में शब्द “रबर या प्लास्टिकस से” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[जूट ट्वाइन, क्रायर कॉर्डेज या रस्सियों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 140 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 141 में, कॉलम (3) में, शब्द “नहीं हैं” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[क्रायर उत्पादों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा”;

(xvi) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xvii) क्रम संख्या 171 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:-

“171	63 [6309 से भिन्न]	वस्त्र से तैयार अन्य वस्तुएं, जिनका ब्रिकी मूल्य एक हजार रुपये प्रति नग से अधिक हो [उतरण और जीर्ण टेक्सटाइल वस्तुएं और चीथड़ों से भिन्न]”;
------	-----------------------	--

(xviii) क्रम संख्या 171क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:.,

“171क	6505	हेट्स (निटेड या क्रोचेटेड) या लेस या अन्य टेक्सटाइल फेब्रिक से बने हो”;
-------	------	---

- (xix) क्रम संख्या 177 में, कॉलम (3) शब्दों, “फलाईऐश डेटें” को लोप किया जाएगा;
- (xx) क्रम संख्या 196 में, कॉलम (3) शब्दों “क्रीडा मैदान रोलर” के पश्चात संकेत, शब्द, कोष्ठक और अंक “; पार्ट्स[8432 90]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xxi) क्रम संख्या 197 में, कॉलम (3) शब्द और अंक “8437 के है” के पश्चात संकेत, शब्द, कोष्ठक और अंक “; पार्ट्स[8433 90 00]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (xxii) क्रम संख्या 200 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “सिलाई मशीनें, शीर्ष 8440 की पुस्तक-सिलाई मशीन के अलावा; फर्नीचर, अट्टे और कवर जो विशेष रूप से सिलाई मशीनों के लिए डिजाइन किए गए हैं; सिलाई मशीन सुई और सिलाई मशीन के कल पुर्जे” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xxiii) क्रम संख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“201क	8509	गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है”;
-------	------	--

- (xxiv) क्रम संख्या 207 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

“207A	8710	टैंक और अन्य कवच युक्त युद्ध वाहन, मोटर युक्त चाहे उनमें अस्त्र-शस्त्र लगे हो या नहीं, ऐसे वाहनों के हिस्से”;
-------	------	---

- (xxv) क्रम संख्या 215 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

“215	9003	नजर के चश्मों, धूपी चश्मों और इसी प्रकार की वस्तुओं के फ्रेम्स, और इन वस्तुओं के हिस्से”;
------	------	---

- (xxvi) क्रम संख्या 216 में, कॉलम (3) में, शब्द “सुधारात्मक” के पश्चात कोष्ठक और शब्द “[दृष्टि सुधार के लिए धूपी चश्मों से भिन्न]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

- (xxvii) क्रम संख्या 221 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “स्पिलिंट्स और अन्य फैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य एपलाइसेस जो पहने या ले जाए या शरीर में लगाए जाने के लिए होते हैं, जो कि विकलांग की मदद के लिए होते हैं; इंद्राओकुलर लेंस [आर्थोपेडिक एपलाइसेस, जैसे कि क्रचेस, सर्जिकल ट्रेसस, सुनने में सहायक उपकरण से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (xxviii) क्रम संख्या 222 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा

“222क	9403	पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर”;
-------	------	--

- (xxix) क्रम संख्या 231 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में “ मत्स्य कांटा” शब्दों को लोप किया जाएगा;

- (xxx) क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

“243	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना”;
------	------------	---

(ग) अनुसूची-III-9% में,-

- (i) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 12 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“शुगर क्रफेशनरी [मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुरिया, इलायची दाना, लुकुम दाना, चिक्की जैसे कि मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, चीनी से निर्मित मखाना, मूंगफली मिठाई से भिन्न]”;
- (iv) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“12क	1804	कोको मक्खन, वसा और तेल
12ख	1805	कोको चूर्ण, जिसमें चीनी या कोई मधुरित पदार्थ न मिलाया गया हो
12ग	1806	चॉकलेट और अन्य खादय निर्मितियां, जिनमें कोको अंतर्विष्ट है”;

- (v) क्रम संख्या 13 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“1901 [1901 20 00 से भिन्न]	माल्ट निष्कर्ष; आटा, दलिया, अवचूर्ण, स्टार्च या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 40 % कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; शीर्ष 0401 से 0404 के माल की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 5 % कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है [शिशुओं या छोटे बालकों के लिए निर्मितियों से भिन्न, जिन्हें खुदरा विक्रय के लिए रखा गया है और बेकरी के बर्तनों के निर्माण के लिए शीर्ष 1905 के मिश्रण और गुंधे हुए आटे]”;
-----------------------------	--

- (vi) क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 16 में, कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“1901 [1901 20 00 से भिन्न]	पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकरी के सामान, चाहे कोको युक्त हों या नहीं; भोज वेफर्स, फार्मास्यूटिकल उपयोग के लिए उपयुक्त तरह के खाली कैश, सील वेफर्स, चावल कागज और इसी तरह के उत्पाद[पिज्जा रोटी, खखरा, सादी चपाती या रोटी, डबल रोटी, रास्क, टोस्टेड रोटी और इसी तरह के उत्पादों से भिन्न]”;
-----------------------------	---

- (viii) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“16क	2101 11, 2101 1200	काँफी के निष्कर्ष, सत् और सांद्र और इन निष्कर्षों सतों, या सांद्रों के आधार वाली या काँफी के आधार वाली निर्मितियां”;
------	-----------------------	--

(ix) क्रम संख्या 18,19 और 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 23 में कॉलम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [भूने चने, मिठाइयां, इडली/डोसा बैटर समेत सभी बैटर, नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य निर्मितियां जिनका उपयोग तुरंत किया जा सके, चटनी पाउडर, डाइबेटिक फूड्स, से भिन्न]”;

(xi) क्रम संख्या 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“24क	2202 91 00, 2202 99 90	अन्य गैर अल्कोहाली पेय [नारियल पानी से भिन्न]”;
------	---------------------------	---

(xii) क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“26क	2515 12 20, 2515 12 90	संगमरमर और ट्रेवरटाइन, ब्लॉक से भिन्न
26ख	2516 12 00	ग्रेनाइट, ब्लॉक से भिन्न”;

(xiii) क्रम संख्या 27 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 30 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“अन्य धातुमल और भस्म, जिसमें समुद्री खरपतवार भस्म (केल्प) और नगरपालिका अपशिष्ट के भस्मीकरण की भस्म और अवशिष्ट सम्मिलित है [फ्लाई ऐश से भिन्न]”;

(xv) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“30क	2706	अन्य मिनरल टार से आसवित टार चाहे निर्जलीकृत या आशिक रूप से आसवित हो या नहीं जिसमें रिकांस्टिट्यूटेड टार्स भी शामिल हैं”;
------	------	--

(xvi) क्रम संख्या 33 में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“पेट्रोलियम आयल या ऐसे आयल जो विटुमिनस मिनरल से प्राप्त किए गए हो, कच्चे पेट्रोलियम से भिन्न ; ऐसे उत्पाद जो अन्य कहीं भी विनिर्दिष्ट या शामिल न हों , जिनमें भार के हिसाब से 70 प्रतिशत या इससे अधिक पेट्रोलियम आयल या विटुमिनस मिनरल से प्राप्त आयल निहित हो, ये आयल ऐसे उत्पाद के आधारभूत अवयव हो; वेस्ट आयल्स; अवगैस [करोसीन पीडीएस, पेट्रोल, डीजल या एटीएफ से भिन्न, जिनको जीएसटी में शामिल न किया गया हो]”;

(xvii) क्रम संख्या 52 में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:

“निर्मित वर्णक, निर्मित अपारदर्शकारी, निर्मित रंग, कांचावनीय इनेमल, चमरकारक, ऐंगोब (स्लिप), द्रव द्वितिकारक और वैसी ही निर्मितियां, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग चीनी मिट्टी इनेमल या कांच उद्योग में किया जाता है; ग्लास फ्रिट या अन्य ग्लास , जो कि पाउडर ग्रेन्यूल्स या फलेक्स के रूप में हो”;

(xviii) क्रम संख्या 54क में , कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“कलाकारों, विद्यार्थियों या साइनबोर्ड पेंटरों के रंग, रुपांतरण आभाकारी, आमोद-प्रमोद रंग और वैसे ही पदार्थ जो टिकियों, ट्यूबों, जारों, बोतलों, पैनों या वैसे ही प्रारूपों या पैकिंग में है”;

(xix) क्रम संख्या 55 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

(xx) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“57क	3303	सुगंध सामग्री और प्रसाधन जल”;
------	------	-------------------------------

(xxi) क्रम संख्या 58 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“3304	सौंदर्य या रूप सज्जा निर्मितियां और त्वाचा की परिचर्या के लिए निर्मितियां (औषध द्रव्य से भिन्न) जिनके अंतर्गत धूप रोधक लेप या धूप टैनरोधी निर्मितियां हैं, नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन निर्मितियां [काजल, कुमकुम, बिंदी, सिंदूर, अलता से भिन्न]”;
-------	---

(xxii) क्रम संख्या 59 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“3305	केश के लिए निर्मितियाँ”;
-------	--------------------------

(xxiii) क्रम संख्या 60 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“3306	मुख या दांत स्वास्थ्य के लिए निर्मितियां, जिनके अंतर्गत दंत चूर्ण; दांतों के बीच सफाई करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत फ्लौस) पृथक खुदरा पैकजों में [टूथ पाउडर से भिन्न]”;
-------	--

(xxiv) क्रम संख्या 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“60क	3307	क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, शारीरिक गंध हारक, स्नान निर्मितियां, रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित कक्ष गंध हारक चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली हैं या नहीं; जैसे क्षौर-पूर्व, क्षौर या क्षौर पश्च निर्मितियां, क्षौर क्रीम, शारीरिक गंध हारक और पसीना रोधी”;
------	------	---

(xxv) क्रम संख्या 61 में , कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“3401	साबून; साबुन के रूप में उपयोग के लिए कार्बनिक पृष्ठ सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जो बार, टिकियों, संचित खंडों या आकारों के रूप में हैं चाहे उनमें साबुन है या नहीं; तरल या क्रीम के रूप में त्वचा धोने के लिए कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय उत्पाद और निर्मितियां, जिन्हें फुटकर विक्रय के लिए रखा गया है चाहे उनमें साबुन हो अथवा नहीं; पेपर, वाडिंग, फैल्ट और अव्युत्तित, साबुन या डिटर्जेंट से युक्त, विलेपित या आच्छादित”;
-------	---

(xxvi) क्रम संख्या 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“61क	3402	कार्बनिक पृष्ठ-सक्रिय कर्मक (साबुन से भिन्न) ; पृष्ठ- सक्रिय निर्मितिया, धावन निर्मितियां (जिनके अंतर्गत सहायक धावन निर्मितियां हैं) निर्मलन निर्मितियां, चाहे साबुन से युक्त हो या नहीं, शीर्ष 3401 की मर्दों से भिन्न[सल्फोनेटित एरंड का तेल, मछली का तेल या स्पर्म तेल से भिन्न]
61ख	3403	स्नेहक निर्मितियां (जिनके अंतर्गत स्नेहकों पर आधारित कर्तन तेल निर्मितियां बोल्ट या नट विमोचन निर्मितियां, जंगरोधी या संक्षारणरोधी निर्मितियां और संच विमोचन विनिमितियां हैं) और ऐसी निर्मितियां जिनका उपयोग टैक्सटाइल सामग्री, चमड़ा, फरदार चर्म या अन्य सामग्रियों के तेल या ग्रीस उपचार के लिए किया जाता है, किन्तु इनके अंतर्गत ऐसी निर्मितियां नहीं हैं जिनमें आधारी संघटकों के रूप में भार के आधार पर 70 प्रतिशत या अधिक पैट्रोलियम तेल या बिटुमनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल अंतर्विष्ट हैं”;

(xxvii) क्रम संख्या 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“62क	3405	जूतादि, फर्निचर, फर्श, कोचवर्क, कांच या धातु के लिए पोलिश और क्रीम, अभिमार्जन पेस्ट और चूर्णतथा वैसी ही निर्मितियां (चाहे वे पेपर, वाडिंग, नमदा, अव्युतित, सैलूलर प्लास्टिक या सैलूलर रबर के रूप में है या नहीं, जो ऐसी निर्मितियों से संसेचित, विलेपित या अच्छादित हैं), जिनके अंतर्गत शीर्ष 3404 के मोम नहीं हैं”;
------	------	--

(xxviii) क्रम संख्या 71 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“71क	3602	निर्मित विस्फोटक, नोदक चूर्ण से भिन्न ; जैसे की आद्योगिक विस्फोटक”;
------	------	---

(xxix) क्रम संख्या 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“72क	3604	आतिशबाजी, संकेत प्रदीपक, वर्षा राकेट, कुहासा संकेत और अन्य पाइरोटेकनिक वस्तुएं”;
------	------	--

(xxx) क्रम संख्या 73क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:

“73क	3606	फैरो-सिरियम और सभी रूपों में अन्य पाइरोफोरिक मिश्रातु ; इस अध्याय के टिप्पण 2 में यथाविनिर्दिष्ट ज्वलनशील सामग्री की वस्तुएं, जैसे कि आधानों में द्रव्य या द्रवीकृत गैस ईंधन, जिस प्रकार के ईंधन का उपयोग सिगरेट या वैसे ही लाइटों को भरने के लिए किया जाता है”;
------	------	--

(xxxi) क्रम संख्या 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“89क	3811	खनिज तेलों (जिसके अंतर्गत गैसोलीन है) के लिए या वैसे ही प्रयोजनों के लिए खनिज तेल के रूप में उपयोग किए जाने वाले अन्य द्रव्यों के
------	------	---

		लिए अपस्फोटरोधी निर्मितिया, ऑक्सीकरण संदमक, गोंद संदमक, श्यानता वर्धक, संक्षारणरोधी निर्मितियां और अन्य निर्मित योज्यक”;
--	--	--

(xxxii) क्रम संख्या 90 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“90क	3813	अग्निशामकों के लिए निर्मितियां और भरण ; भरित अग्निशामक ग्रेनेड
90 ख	3814	कार्बनिक संयुक्त विलायक और विरलक, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित पेंट या वार्निश अपसारक”;

(xxxiii) क्रम संख्या 94 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“94क	3819	हाइड्रालिक संचरण के लिए हाइड्रालिक ब्रेक तरल और अन्य निर्मित द्रव्य, जिनमें पेट्रोलियम तेल बिटुमिनी खनिजों से अभिप्राप्त तेल नहीं हैं या भार के आधार पर 70 प्रतिशत से कम हैं
94 ख	3820	हिमीकरणरोधी निर्मितियां और निर्मित विहिमन तरल”;

(xxxiv) क्रम संख्या 104 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:

-

“104क	3918	प्लास्टिक की फर्श की बिछायते, चाहेनहीं या हैं आसंजक , रालों में टाइलों के रूप ; प्लास्टिक के भित्ति या सीलिंग आच्छद”;
-------	------	---

(xxxv) क्रम संख्या 107 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:

-

“107क	3922	प्लास्टिक के बाथ, शावर बाथ, सिंक, बाँशबेसिन, बिडेट, शौचालय पैन, सीट और आच्छद, फलश करने के सिस्टर्न और वैसे ही स्वच्छता के समान”;
-------	------	--

(xxxvi) क्रम संख्या 111 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिःस्थापित किया जायेगा, यथा:

“प्लास्टिक से बनी अन्य वस्तुएं और अन्य सामग्रियों से बनी वस्तुएं जो शीर्ष 3901 से 3914 के अंतर्गत आती हैं [प्लास्टिक की चूडियों, प्लास्टिक के मनके और फीडिंग बाटल्स से भिन्न]”;

(xxxvii) क्रम संख्या 121 और उससे संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“121क	4013	रबड़ की आंतरिक ट्यूबें [उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिलरिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और ट्रैक्टर के पिछले टायर ट्यूब]”;
-------	------	---

(xxxviii) क्रम संख्या 123क में कालम (2) और कालम (3) और उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“4016	कठोर रबड़ से भिन्न वल्कनीकृत रबड़ की अन्य वस्तुएं (इरेजर , रबर बैंड से भिन्न)”;
-------	---

(xxxix) क्रम संख्या 123क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“123ख	4017	सभी रूपों में कठोर रबड़ (उदाहरण के लिए इबोनाइट), अपशिष्ट और स्क्रैप से भिन्न ; कठोर रबड़ की वस्तुएं
123ग	4201	किसी सामग्री की किसी प्राणी के लिए जीन साजी और साज (जिसके अंतर्गत प्रग्रह, डोरी, नीपैड, मुखपट्टा, जीन कपड़ा, जीन थैली, कुत्ते की कौट और वैसी ही वस्तुएं हैं);

(xi) क्रम संख्या 124 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:

-

“टंक, सूटकेसेस, वैनिटी केसेस, एक्यूजीटिव केसेस, स्कूल सैचल्स, स्पेक्टल केसेस, बाइनोकूल कैसेस, कैमरा कैसस, म्यूजिकल केसस, गन केसिस, होल्टर्स और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर, ट्रैवलिंग बैग्स, इंसूलेटिड फूड, वीवरेज बैग्स, टायलेट बैक्स, रूकसेक बैग्स, हैंड बैग्स, शापिंग बैग्स, वालेट, पर्स, मैप केसिस, सिगरेट केसिस, तम्बाकू गुटका, टूल बैग्स, स्पोर्ट्स बैग्स, बाटल केस, आभूषणों के डिब्बे, पाउडर के डिब्बे, कटलरी केसिस और इसी प्रकार के अन्य कंटेनर जो कि चमड़े, प्लास्टिक की शीट, कपड़े की सामग्री, वल्कनाइलडस्ड फाइबर या पेपर बोर्ड से बने हों या पूर्णतया काफ़ी हद तक ऐसी सामग्री से ढके हों या पेपर से ढके हों, [सूती या जूट से बने हैंड बैग और शापिंग बैग से भिन्न]”;

(xii) क्रम संख्या 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“124क	4203	लैदर या संयोजित चमड़े की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन (उन ग्लोब्स से भिन्न जो कि विशेषकर खेल के लिए बनाए गए हों)
124ख	4205	चमड़े या संयोजित चमड़े की अन्य वस्तुएं
124ग	4206	तांत (रेशमकीट तांत से भिन्न) की वर्क साजी, वस्ति या कंडरा की वस्तुएं”;

(xlii) क्रम संख्या 125, 126, 127, 128, 129 और 130 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा”;

(xliii) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“132क	4303	फरदार चर्म की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन और अन्य वस्तुएं”;
-------	------	--

(xliv) क्रम संख्या 133 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“कृत्रिम फर और उससे बनी वस्तुएं”;

(xlv) क्रम संख्या 137 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“137क	4410	काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के पार्टिकल बोर्ड, ओरिएण्टेड स्ट्रैंडबोर्ड (ओएसबी) और वैसे ही बोर्ड (उद्धारण के लिए वैफर बोर्ड) चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक बंधन पदार्थ से संपीडित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
137ख	4411	काष्ठ के फाइबर बोर्ड या अन्य काष्ठ सामग्री, चाहे वे रेज़िन या अन्य कार्बनिक पदार्थ से बंधित हैं अथवा नहीं विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न
137ग	4412	प्लाइवुड, पृष्ठावृत पैनल और वैसे ही पटलित काष्ठ
137घ	4413	घनीकृत काष्ठ, ब्लॉकों, प्लेटों, स्ट्रिप या प्रोफाइल आकारों में
137ड.	4414	रंगचित्रों, फोटोचित्रों, दर्पण या वैसे ही वस्तुओं के लिए काष्ठ की चौखटें
137च	4418	काष्ठ का राजगीर-योजकर्म, जिसके अंतर्गत सैलुलर काष्ठ पैनल, समंजित फर्श पैनल, छादन पट्टी और शेक हैं
137छ	4421	काष्ठ पैविंग ब्लॉक, घनीकृत काष्ठ की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, घरेलू सजावटी वस्तुओं के भाग, जिनका उपयोग मेज़ और रसोई के बर्तनों के रूप में किया जाता है”;

(xli) क्रम संख्या 150 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“150क	4814	भित्ति कागज़ और वैसे ही भित्ति आच्छादन ; कागज़ की खिड़की पारदर्शिता”;
-------	------	---

(xlvii) क्रम संख्या 153 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा: -

“153क	4819 20	नान कोरूगेटिट पेपर या पेपर बोर्ड से बने कार्टन्स, वाक्सिस और कैसेस”;
-------	---------	--

(xlviii) क्रम संख्या 175 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“सिर के अन्य पहनावे, बुने हुए या क्रोशियाकृत या लैस, नमदे या अन्य टैक्सटाइल फैब्रिक से निर्मित, थान में (किंतु पट्टियों में नहीं), चाहे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं; किसी भी सामग्री के केश जाल; चाहे वे अस्तर या झालर लगे हैं या नहीं”;

(xlix) क्रम संख्या 177क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“6702	कृत्रिम पुष्प, पर्णसमूह और फल तथा उनके भाग, कृत्रिम पुष्पों, पर्णसमूहों या फल से बनाई गई वस्तुएं”;
-------	--

(l) क्रम संख्या 177क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा,-

“177ख	6703	ऊन या अन्य प्राणी केश या अन्य टैक्सटाइल सामग्री, जिन्हें विगों या वैसी ही वस्तुओं को बनाने के लिए तैयार किया गया है
177ग	6704	मानव केश या प्राणी रोम या टैक्सटाइल सामग्री की विग, नकली दाढ़ी, भोहें और पक्षम, स्विच और वैसी ही वस्तुएं ; मानव केश की वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
177घ	6801	प्राकृतिक प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) के सैट, कर्बस्टोन और पट्टियां प्रस्तर
177ड.	6802	कर्मित संस्मारकीय या निर्माणी प्रस्तर (स्लेट के सिवाय) और उसकी वस्तुएं शीर्ष सं0 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; प्राकृतिक प्रस्तर (जिसके अंतर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिप्पियां और चूर्ण [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान से भिन्न]
177च	6803	कर्मित स्लेट और स्लेट की या संपिंडित स्लेट की वस्तुएं”;

(ii) क्रम संख्या 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“180क	6807	एस्फाल्ट या वैसी ही सामग्री की वस्तुएं (उदाहरणार्थ पेट्रोलियम बिटुमिन या कोलतार पिच)
180ख	6808	वनस्पति फाइबर के, पुआल के या शेविंग प्रपट्ट, बोर्ड, टाइलें, ब्लॉक और वैसी ही वस्तुएं, काष्ठ के चिप्स, कर्ण बुरादा या अन्य अपशिष्ट जो सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बंधकों से संपींडित हैं
180ग	6809	प्लास्टर या प्लास्टर पर आधारित संमिश्रणों की वस्तुएं, जैसे बोर्ड, चादरें, पैनल, टाइल और वैसी ही वस्तुएं, जो अलंकृत नहीं हैं”;

(iii) क्रम संख्या 181 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“सीमेंट, कांक्रीट या कृत्रिम प्रस्तर की वस्तुएं, चाहे प्रबलित हैं या नहीं”;

(iii) क्रम संख्या 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“182क	6812	संविचिंत एस्बेस्टस फाइबर ; एस्बेस्टस के आधार सहित या एस्बेस्टस और मैगनिशीयम कार्बोनेट के आधार सहित मिश्रण; ऐसे मिश्रणों की या एस्बेस्टस की वस्तुएं (उदाहरणार्थ धागा, व्युत्तित फैब्रिक, वस्त्र, सिर के पहनावे, जूतादि, गैसक्रिट) चाहे प्रबलित हैं या नहीं, शीर्ष 6811 या 6813 से भिन्न माल
182ख	6813	ब्रैक के लिए, क्लचों के लिए या उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए घर्षण सामग्री और उसकी वस्तुएं (उदाहरणार्थ चादर, रोल, पट्टियां, खंड चक्रिका, वाशर, पैड) जो अनारूढ हैं, एस्बेस्टस, अन्य खनिज पदार्थ या सैलूलोस के आधार सहित है, चाहे टैक्सटाइल या अन्य सामग्री से संयुक्त हैं या नहीं

182ग	6814	कर्मित अभ्रक और अभ्रक की वस्तुएं, जिनके अंतर्गत संपिंडित या पुनःरचित अभ्रक है, चाहे वह कागज़, पेपर बोर्ड या अन्य सामग्री के समर्थन आधार पर है या नहीं
182घ	6815	प्रस्तर या अन्य खनिज पदार्थों की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर की वस्तुएं और पीट की वस्तुएं हैं) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [फ्लाइऐश ईटें, फ्लाइऐश ब्लॉक, फ्लाइ ऐश समुच्चय जिनमें फ्लाइ ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न]
182ड.	6901	सिलिकामय जीवाशमी अवचूर्ण की (उदाहरणार्थ काजेलगुर, ट्रिपोलाइट या डायटोमाइट) या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी के ब्लॉक, टाइल और अन्य चीनी मिट्टी के माल”;

(liv) क्रम संख्या 184 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“184क	6904	चीनी मिट्टी के फर्श ब्लॉक, आलंब भरक टाइलें और वैसी ही वस्तुएं
184ख	6905	चिमनी पॉट, काउल, चिमनी-आस्तर, स्थापत्य अलंकरण और अन्य चीनी मिट्टी के संनिर्माण माल”;

(iv) क्रम संख्या 185 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“सिरामिक पाइप्स, कंडुइट्स, गटरिंग्स और पाइप फिटिंग्स”;

(lvi) क्रम संख्या 185 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“185क	6907	चीनी मिट्टी के फ्लैग और पैविंग, हर्थ या भित्ति टाइलें ; चीनी मिट्टी के मोजाइक क्यूब और वैसी ही वस्तुएं चाहे वे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं ; फिनिशिंग सिरैमिक्स
185ख	6909	प्रयोगशाला, रसायनिक या अन्य तकनीकी उपयोग के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन ; चीनी मिट्टी की द्रोणी, टब और वैसी ही घानी, जो उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग कृषि में किया जाता है; चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
185ग	6910	चीनी मिट्टी की होदी, धावन कुंडी, धावन कुंडी की पीठिका, बाथ वेडेट, पन क्लार्जेंट पैन, प्रधावन-होज, मूत्रदान और वैसी ही स्वच्छता फिक्सचर
185घ	6914	अन्य चीनी मिट्टी की वस्तुएं”;

(lvii) क्रम संख्या 189 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“189क	7003	लवां कांच और वेल्लित कांच चादरों या प्रोफाइलों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
189ख	7004	कर्षित कांच और धर्मित कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है

189ग	7005	प्लव कांच और पृष्ठ घर्षित या पालिशकृत कांच, चादरों में, चाहे उनमें अवशोषक या परवर्ती या अपरावर्ती पतें हैं या नहीं, किंतु अन्यथा कर्मित नहीं है
189घ	7006 00 00	शीर्ष सं0 7003, 7004 या 7005 का कांच, बक, किनाराकर्मित, उत्कीर्णित, प्रवेधित, एनेमलित या अन्यथा कर्मित, किंतु जिसे अन्य सामग्रियों के साथ फ्रेम किया गया या लगाया गया नहीं है
189ड.	7007	सुरक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पायित) या पटलित कांच है रक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पाथित) है या पटलित कांच है या
189च	7008	कांच की बहुभित्ति रोधी इकाई
189छ	7009	कांच के दर्पण, चाहे फ्रेम लगे हैं या नहीं, जिसके अंतर्गत पश्चदृश्य दर्पण है”;

(lviii) क्रम संख्या 190 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“190क	7011	विद्युत लैंपों, कैथोड-किरण ट्यूबों या ऐसे ही सामान के लिए कांच के आवरण (जिसके अंतर्गत बल्ब और ट्यूब हैं), खुले, ओर उनके कांच के भाग बिना फिटिंग के”;
-------	------	--

(lix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“191क	7014	संकेतन कांच के सामान और कांच के प्रकाशीय अवयव (उनसे भिन्न, जो शीर्ष सं0 7015 के हैं) जो प्रकाशीय रूप से कर्मित नहीं हैं”;
-------	------	---

(ix) क्रम संख्या 192 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“192क	7016	निपिडित या संचित कांच के फर्शी ब्लॉक, सिल्लियां, ईटें, वर्ग, टाइलें या अन्य वस्तुएं; चाहे उनमें तार लगे हैं या नहीं, जो इस प्रकार की हैं जिनका उपयोग निर्माण या संनिर्माण के प्रयोजनों के लिए किया जाता है; जो डिजाइन या वैसे ही सजावटी प्रयोजनों के लिए कांचके धन और कांच के अन्य छोटे समान, चाहे वे पृष्ठक पर हैं या नहीं; सीसीयुक्त लाइटें और वैसे ही सामान; बहु सेलुलर या फोम कांच, ब्लॉकों, प्रपटों, प्लेटों, खोलों या वैसे ही रूपों में”;
-------	------	---

(lxi) क्रम संख्या 195 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“195क	7020	कांच की अन्य वस्तुएं [लैंपों और लालटेन के लिए कांच के खोलों, किरोसिन बत्ती वाले लैंपों के लिए फाउंट, लैंपों और लालटेनों के लिए कांच की चिमनी]”;
-------	------	---

(lxii) क्रम संख्या 235 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

"स्टोव, रेंज, ग्रेटस, कुकर (जिसमें केन्द्रीय उष्मा के अनुषंगी बायलर भी हैं) बारबेक्यूस ; ब्रेजियर्स, गैस छल्ला, प्लेट गर्म करने वाली और समरूप कार्य व वस्तु और समरूप इलैक्ट्रिकल घरेलू वस्तुएं और पुर्जे, जो प्लेटें लौह या इस्पात की है [जो केरोसिन बर्नस, केरासिन स्टोव्स और उड बर्निंग स्टोव्स, आयरन या स्टील के, से भिन्न हों]";

(lxiii) क्रम संख्या 235 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"235क	7322	केन्द्रीयकृत उष्मण के लिए रेडिएटर, वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं; और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से पुर्जे; वायु उष्मक और उष्म वायु वितरक (इसमें ऐसे वितरक भी शामिल हैं जो ताजी वायु या कंडीशंड वायु का वितरण कर सकते हैं) जो कि वैद्युत द्वारा उष्मित नहीं हैं जिसमें मोटर चालित फेन अथवा ब्लोअर समाविष्ट हैं और उनके लौह अथवा इस्पात के हिस्से-पुर्जे";
-------	------	--

(lxiv) क्रम संख्या 236 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"236क	7324	लौह या इस्पात के स्वच्छता के सामान और उनके पुर्जे";
-------	------	---

(lxv) क्रम संख्या 237 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"आयरन या स्टील के अन्य कास्ट आर्टिकल्स";

(lxvi) क्रम संख्या 238 में कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"आयरन या स्टील के अन्य आर्टिकल्स";

(lxvii) क्रम संख्या 252 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"252क	7418	सभी माल [तांबे की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से भिन्न]";
-------	------	---

(lxviii) क्रम संख्या 253 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"7419	ताम्र की अन्य वस्तुएं";
-------	-------------------------

(lxix) क्रम संख्या 262 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"अनगढ़ा एल्युमीनियम";

(lxx) क्रम संख्या 271 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"7610	एल्युमिनियम संरचना (शीर्ष सं0 9406 के पूर्व संविरचित निर्माण को छोड़कर) और संरचना के भाग (उदाहरणार्थ, पुल और पुल-परिच्छेद, टावर जालक मस्तूल, छतें, छत ढांचा, वलयालम्ब, खम्बा और स्तंभ) ; एल्युमिनियम प्लेटें, छड़ें, प्रोफाइल नलिकाएं और वैसी ही वस्तुएं, जो संरचना में उपयोग के लिए तैयार की गई हैं";
-------	--

(lxxi) क्रम संख्या 275 में कालम (3) की प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"स्ट्रेंड वायर्स, केबल्स, प्लेटिड बैंड और इसी प्रकार की वस्तुएं, जो एल्युमीनियम की बनी हों, इलेक्ट्रिकली इन्सूलेटिड न हों";

(lxxii) क्रम संख्या 275 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"275क	7615	सभी माल [एलमुनियम की मेज, रसोई या अन्य घरेलू वस्तुएं; बर्तनों, से भिन्न]";
-------	------	--

(lxxiii) क्रम संख्या 301 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"301क	8212	रेजर तथा रेजर ब्लेडस् (पट्टी में रेजर, ब्लेड, ब्लैंक सहित)";
-------	------	--

(lxxiv) क्रम संख्या 302 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"302क	8214	कटलरी की अन्य वस्तुएं (उदाहरणार्थ, रोम प्रकर्तित्र, मांस विक्रेता के या रसोई के विदारक, प्रकार्तित्र और कीमाकरण छुरियां) नख प्रसाधन या पाद प्रसाधन सेट और यंत्र (जिसके अंतर्गत नखरेती है) [पेपर छुरियों, पेंसिल घड़ने वाले औजारों और उनके ब्लेडों से भिन्न]";
-------	------	---

(lxxv) क्रम संख्या 303क में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रति:स्थापित किया जायेगा,-

"8302	आधार धातु के आरोपण, फिटिंगें और फर्नीचर, दरवाजों, सीढियों, खिड़कियों, ब्लाइंडों, कोचवर्क, जीनसाजी, संदूखो, पेटियों, मंजूषा या वैसी ही वस्तुओं के लिए उपयुक्त ऐसी ही वस्तुएं, आधार धातु के हैट रैक, हैट खूटी, ब्रेकेट और वैसे ही फिक्सचनारों, आधार धातु के आरोपण सहित चूल पहिया, आधार धातु के स्वचालित द्वारबंद";
-------	--

(lxxvi) क्रम संख्या 303क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अत:स्थापित किया जायेगा,-

"303ख	8303	आधार धातु के कवचित या प्रबलित सेफ, तिजोरियां और तिजोरी कक्ष के लिए तिजोरी लाकर नकदी या विलेख बक्से और वैसी ही वस्तुएं
303ग	8304	शीर्ष सं0 9403 के कार्यालय फर्नीचर से भिन्न आधार धातु की फाइल कैबिनेट, कार्डइंडेक्स कैबिनेट, पेपर ट्रे, पेपर-रेस्ट, पेन-ट्रे, कार्यालय स्टॉप स्टैंड और वैसे ही कार्यालय या डैस्क उपस्कर
303घ	8305	आधार धातु के लूज लीफ बंधकों या फाइलों के लिए फिटिंगें, पत्र क्लिपें, पत्र कोने, कागज़ क्लिपों, इंडेक्स टैग और वैसे ही कार्यालय की वस्तुएं ; आधार धातु के स्ट्रिप्स में स्टेपिल (उदाहरणार्थ कार्यालयों, अपहोल्स्टरी, पैकेजिंग के लिए)";

(lxxvii) क्रम संख्या 307 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“307क	8310	शीर्ष सं0 9405 की वस्तुओं के अलावा आधार धातु के हस्ताक्षर पट्ट, नाम पट्ट, पता पट्ट और वैसे ही पट्ट, संख्याएं, अक्षर और अन्य प्रतीक”;
-------	------	--

(lxxviii) क्रम संख्या 316 में कालम (3) की प्रविष्टि में के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“टर्बोजेट्स, टर्बो प्रोपुलर्स और अन्य गैस टरबाइन [एयरक्राफ्ट इंजन के अतिरिक्त]”;

(lxxix) क्रम संख्या 317 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“317क	8413	कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [टैरिफ पद 8413 11 10]
317ख	8414	वायु या निर्वात पंप, वायु या अन्य गैस संपीडित्र ओर पंखे; संवातन या पुनःचक्रण छत्रक जो पंखा युक्त है, चाहे उनमें फिल्टर फिट किए गए हैं या नहीं [साईकिल पंप, अन्य हैंड पंप, साईकिल पंपों के वायु या निर्वात पंपों के भाग और कम्प्रेसर से भिन्न]”;

(lxxx) क्रम संख्या 320 में कालम (2) और कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“8419	मशीनरी , संयंत्र या प्रयोगशाला उपकरण, चाहे वे इलेक्ट्रिक हीटिड हों या नहीं (शीर्ष 8514 के अंतर्गत आने वाले फ्रनैस , ओवन और अन्य उपकरणों को छोड़कर, जो कि ऐसी प्रक्रिया में वस्तुओं के उपचार में प्रयोग होते हैं जिसमें उष्मन, कुकिंग, रोस्टिंग, डीस्टलिंग, रैक्ट्रीफाइन, स्टेयरीलाइजिंग, पास्चुलाइजिंग, स्टीमिंग, ड्राइंग, वाष्पन, भापीकरण, संघनन या प्रशीतन के माध्यम से ताप में बदलाव लाने की जरूरत होती है, उन मशीनों या संयंत्रों से भिन्न जो घरेलू उपयोग की होती है; तात्कालिक या स्टोरेज वाटर हीटर , नान इलेक्ट्रिक [सौर जल तापित्र और प्रणाली से भिन्न]”;
-------	--

(lxxxii) क्रम संख्या 324 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“भार तोलन मशीनरी (पांच सेंटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुलाओं को छोड़कर), जिसमें वेट आपरेटिव काउंटिंग या चैकिंग मशीन भी शामिल हैं; सभी प्रकार के भार तोलन मशीनें ”;

(lxxxiii) क्रम संख्या 325 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,

“मेकेनिकल उपकरण (चाहे वे हस्तचालित हों या नहीं, जो कि प्रोजेक्टिंग, डिसपसिंग या लिक्विड या पाउडर स्प्रेन के लिए हों; अग्निशामक, चाहे वे चार्ज हों या नहीं; स्प्रे गन्स और इसी प्रकार के उपकरण, स्टीम या सैंड प्लास्टिक मशीनें और इसी प्रकार की जैट प्रोजेक्टिंग मशीनें [ड्रिप सिचाई उपकरण के नोजलस या स्पिंगलर के नोजल से भिन्न]”;

(lxxxiiii) क्रम संख्या 327 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“327क	8427	कांटा उत्कर्ष ट्रक; अन्य संकर्म ट्रक, जिनमें उत्कर्षण या प्रहस्त उपस्कर फिट किए गए हैं
327ख	8428	अन्य उत्कर्ष, प्रहस्तन, लदाई या उतराई मशीनरी (उदाहरणार्थ उतकर्षित्र, चलसोपान, प्रवहणित्र, टेलीफैरिक)
327ग	8429	स्वनोदित बुलडोजर, ऐंगिल डोजर, ग्रेडर, समतलित्र, स्केपर यांत्रिक शावल, उतखनित्र, शवल भरित्र, कुट्टन मशीनें और सड़क रोलर

327घ	8430	मिट्टीखनिजों या अयस्कों के लिए अन्य चल, ग्रेडन, समतलन, स्क्रैपन, उतखनन, कुट्टन,संहनन, निष्कर्षण या वेधन मशीनरी; स्थूणा चालक और स्थूणा-निष्कर्षित; हिमहल और हिम-ब्लोअर";
------	------	---

(lxxxiv) क्रम संख्या 335 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"प्रिंटिंग मशीनरी जो कि प्लेट्स के द्वारा प्रिंटिंग के काम आती हो, सिलेंडर और अन्य प्रिंटिंग घटक जो शीर्ष 8442 में आते हों"; अन्य प्रकार प्रिंटेर्स, कापिंग और फैक्स मशीनें, चाहे वे संयुक्त रूप से हों या नहीं; इनके कलपुर्जे और सहायक उपकरण;"

(lxxxv) क्रम संख्या 361 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"अन्य कार्यालीन मशीनें (उदाहरणार्थ हैक्ट्रीग्राफिया स्टेंसिल डप्लीकेटिंग मशीनें, एड्रसिंगमशीनें, आटोमेंटिक बैंक डिस्पन्सर, काइन शार्पिंग मशीनें, काउन काउटिंग या रेपिंग मशीनें, पैन्सिल शार्पिंग मशीनें, परपफोरेटिंग या स्टैपलिंग मशीनें), [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या नान इलेक्ट्रिक से भिन्न]";

(lxxxvi) क्रम संख्या 364 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"364क	8476	स्वचालित माल-विक्रय मशीनें (उदाहरणार्थ डाक महसूल स्टॉप, सिगरेट, खाद्य या सुपेय मशीनें), जिनके अंतर्गत मनी चेंजिंग मशीन भी हैं";
-------	------	---

(lxxxvii) क्रम संख्या 365 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"365क	8478	तंबाकू निर्मित करने या बनाने के लिए मशीनरी, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं";
-------	------	---

(lxxxviii) क्रम संख्या 366 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"मशीनें और मशीनों के उपकरण जिनका कार्य एकल हो, जो कि इस अध्याय में और कहीं भी शामिल न किए गए हों [कम्पोस्टिंग मशीनों से भिन्न]";

(lxxxix) क्रम संख्या 369क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"सिलाई मशीनों के क्रेक शाफ्ट, बेयरिंग कक्षिका और प्लेन शाफ्ट बेयरिंग, गियर और गियरिंग; गोलिका या रोलर पेच";

(xc) क्रम संख्या 369 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

"369 ख	8484	अन्य सामग्री के साथ संयोजित धातु शीटिंग के या धातु की दो या अधिक पर्तियों के गेस्केट और वैसे ही जोड़; गेस्केट और वैसे ही जोड़ के सैट या प्रकीर्ण जिनकी संरचना एक समान नहीं है और जो थैलियों, लिफाफों या वैसे ही पैकिंग यांत्रिक सील में रखे गए हैं";
--------	------	--

(xci) क्रम संख्या 375 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, स्टेटिक कन्वर्टरर्स(उदाहरणार्थ रेक्टिफायर्स) और इंडेक्टर्स";

(xcii) क्रम संख्या 376 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“376क	8506	प्राथमिक सेल और प्राथमिक बैटरियां
376ख	8512	इस प्रकार के विद्युत प्रकाश या संकेतन उपस्कर (जिनके अंतर्गत शीर्ष सं0 8539 की वस्तुएं नहीं हैं) विंडस्क्रीन वाइपर, वितुषारित्र और विकुहारित्र, जिनका उपयोग साइकलों या मोटरयानों के लिए किया जाता है
376ग	8513	सुबाह्य विद्युत लैंप, जो अपने ही ऊर्जा स्रोत (उदाहरणार्थ शुष्क बैटरियों, संचायकों, मैग्नेटों) से कार्य करने के लिए अभिकल्पित है, शीर्ष 8512 के प्रकाश उपस्कर से भिन्न”;

(xciii) क्रम संख्या 379 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“टेलीफोन सेट; ध्वनि, तस्वीर या अन्य डाटा, जिसके अंतर्गत तार या बेतार नेटवर्क (जैसे स्थानीय या व्यापक क्षेत्र नेटवर्क) में संचार के लिए साधित्र हैं, सहित पारेषण या प्राप्ति के लिए अन्य साधित्र, शीर्ष सं0 8443, 8525, 8527 या 8528 के पारेषण या प्राप्ति साधित्र से भिन्न [सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे से भिन्न]”;

(xciv) क्रम संख्या 380 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“माइक्रोफोन और उनके स्टैन्ड; लाउडस्पीकर, चाहे वे अपने आवेष्टनों में आरूढ़ हैं या नहीं, हैंडफोन और ईयरफोन, चाहे माइक्रोफोन के साथ संयोजित हैं या नहीं और सैट, जिनमें माइक्रोफोन और एक या अधिक लाउडस्पीकर हैं”;

(xcv) क्रम संख्या 380 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“380क	8519	ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण”;
-------	------	--------------------------------------

(xcvi) क्रम संख्या 381 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“381क	8522	शीर्ष 8519 या 8521 के उपकरणों के साथ पूर्ण रूप से या प्रधानता उपयोग के लिए उपयुक्त पुर्जे और उपसाधन”;
-------	------	---

(xcvii) क्रम संख्या 383 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

“रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि अभिलेखन अथवा पुनरुत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं ; टेलिविजन कैमरा, अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सेना, पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दो-तरफा रेडियो (वाकी-टाकी) से भिन्न)”;

(xcviii) क्रम संख्या 383 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“383क	8526	राडार उपकरण, रेडियो नौपरिवहन सहायक साधित्र और रेडियो सुदूर नियंत्रण उपकरण
383 ख	8527	रेडियो प्रसारण के लिए अभिग्रहण उपकरण, चाहे वे एक ही कक्षिका में ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण या घड़ी के साथ संयुक्त है या नहीं”;

(xcix) क्रम संख्या 384 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“384क	8529	पुर्जे, जो शीर्ष 8525 से 8528 तक के उपकरणों के साथ पूर्णतः या प्रधानतः उपयोग के लिए उपयुक्त हैं
384 ख	8530	रेल, ट्राम, सड़क, अंतर्देशीय जलमार्ग, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान क्षेत्रों के लिए विद्युत संकेतन, सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8608 के हैं)
384 ग	8531	विद्युत ध्वनि या दृश्य संकेतन उपकरण, (उदाहरणार्थ घंटियों, साइरन, सूचक पैनल, चोर या अग्नि संकेतन) उनसे भिन्न, जो शीर्ष 8512 या शीर्ष 8530 के अंतर्गत हैं”;

(c) क्रम संख्या 388 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“388क	8536	विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए विद्युत परिपथों तक या उनमें संबंधन के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, साकेट, लैप होल्डर और अन्य संबंधन, जंक्शन बाक्स) जो एक हजार वोल्ट्स से अनधिक वोल्टता के लिए हैं, प्रकाशिक फाइबर, बंडल या केबलों के लिए संबंधन
388 ख	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए बोर्ड पैनल, कंसोल- कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक साधित्र लगे हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या साधित्र समाविष्ट हैं और संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र, जो शीर्ष 8517 के स्वीचन साधित्र से भिन्न हैं”;

(ci) क्रम संख्या 390 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“इलेक्ट्रिक फिलामेंट या डिस्चार्ज लैम्पस, जिसमें सीड वीन लैम्प यूनिटस और अल्ट्रावाइलेट या इन्फ्रारेड लैम्पस भी आते हैं; आर्क लैम्पस(एल ई डी लैम्पस से भिन्न) ”;

(cii) क्रम संख्या 395 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“इन्सुलेटिड (इनामेलिलड या इनोडाइस्ड समेत) वायर, केबल (जिसमें को एक्सल केबल भी शामिल है) और अन्य इन्सुलेटिड कनेक्टर, चाहे वे कनेक्टर से जुड़े हों या नहीं; ऑप्टिकल फाइबर केबलस, जो कि इंडूजवली सीथेड फाइबरस से बने हों, चाहे या इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जुड़े हों या नहीं या कनेक्टर में फिट हों या नहीं ”;

(ciii) क्रम संख्या 396 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“कार्बन इलेक्ट्रोडस, कार्बन ब्रूशेस, लैम्प कार्बन, बैट्री कार्बन और ग्रेफाइट या अन्य कार्बन से बनी वस्तुएं, चाहे इनमें मेटल हो या नहीं, जो कि विद्युत उद्देशों के लिए प्रयोग किए जाते हों”;

(civ) क्रम संख्या 397 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“397क	8547	विद्युत मशीनों, साधित्रों, उपस्करों के लिए विद्युतरोधी फिटिंगें, जो ऐसी फिटिंगें हैं, जो पूर्णतः विद्युतरोधी सामग्री हैं, किन्तु जो केवल समंजन के प्रयोजन के लिए संचन के दौरान जोड़े गए धातु की किन्हीं लघु घटकों (उदाहरणार्थ चूड़ीदार लाकेट) के अतिरिक्त हैं, शीर्ष 8546 के विद्युत रोधी से भिन्न, विद्युतरोधी सामग्री से आस्तारित आधार धातु के विद्युत कंड्यूशनलिका और उसके जोड़”;
-------	------	--

(cv) क्रम संख्या 410 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;

(cvi) क्रम संख्या 411 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"नजर के चश्मे [उनसे भिन्न जो करेक्टिव हों]; धूपी चश्में जिसमें करेक्टिव विजन वाले धूपी चश्में भी शामिल हैं";

(cvii) क्रम संख्या 411 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“411क	9005	द्विनेत्री, एक नेत्री, अन्य प्रकाशिक दूरबीनों और उनके लिए आरोपण ; अन्य खगोलीय यंत्र और उनके लिए आरोपण किन्तु इसके अंतर्गत रेडियों खगोलीय यंत्र नहीं हैं
411ख	9006	फोटोचित्र (चलचित्र कैमरे से भिन्न) फोटोचित्रण, क्षणदीप उपकरण और शीर्ष 8539 के विसर्जन लैंपों से भिन्न फ्लैश बल्ब
411ग	9007	चलचित्र कैमरे और प्रक्षेपित्र, चाहे उनमें ध्वनि अभिलेखन या पुनरुत्पादन उपकरण है या नहीं
411घ	9008	प्रतिबिंब प्रक्षेपित्र, चलचित्रिय से भिन्न ; फोटोचित्र (चलचित्रिय से भिन्न) विवर्धित्र और अपचायित्र
411ङ	9010	फोटोचित्र (जिसके अंतर्गत चलचित्र भी हैं) प्रयोगशालाओं के लिए साधित्र और उपस्कर, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; नेगटोस्कोप ; प्रक्षेपण स्क्रीन
411च	9011	संयुक्त प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो फोटोसूक्ष्म चित्रण, सिनेमा फोटो सूक्ष्म चित्रण या सूक्ष्म प्रक्षेपण के लिए हैं
411छ	9012	प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से भिन्न सूक्ष्मदर्शी ; विवर्तन उपकरण
411ज	9013	द्रव क्रिस्टल युक्तियां, जिनमें ऐसी वस्तुएं नहीं हैं जिनका उपबंध अन्य शीर्षों में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से किया गया है, लेसर डायोड से भिन्न लेसर ; ऐसे अन्य प्रकाशीय साधित्र और यंत्र, जो इस अध्याय में अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं
411झ	9014	दिक् निर्धारण कंपास ; अन्य नौ परिवहन यंत्र और साधित्र
411ञ	9015	सर्वेक्षण (जिसके अंतर्गत प्रकाशचित्रिय सर्वेक्षण भी है), जलराशिक, समुद्रविज्ञानीय, जलविज्ञानीय, मौसमविज्ञानीय या भू-भौतिकीय यंत्र और साधित्र ; जिनके अंतर्गत कंपास नहीं है ; परासमापी”;

(cviii) क्रम संख्या 412 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,;-

"पांच सेटीग्राम की संवेदनशीलता वाले या इससे बेहतर तुला, भार या बिना भार के”;

(cix) क्रम संख्या 413 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“413क	9022	उपकरण, जो एक्स किरण या एल्फा, बीटा, गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित है [उनसे भिन्न जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए हो], जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियों चिकित्सा उपकरण, एक्स रे ट्यूब और अन्य एक्स रे जनित्र, उच्च विभव जनित्र नियंत्रण पैनल और डेस्ट, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और लाइट भी हैं
-------	------	---

413ख	9023	यंत्र, उपकरण और माडल, जो प्रदर्शन प्रयोजनों, (उदाहरणार्थ शिक्षा या प्रदर्शनी) के लिए अभिकल्पित हैं, अन्य उपयोगों के लिए अनुपयुक्त हैं”;
------	------	---

(cx) क्रम संख्या 423 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“423क	9101	कलाई घड़ियां, जेब घड़िया और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत ऐसी विराम घड़ियां भी हैं, जिनके केस बहुमूल्य धातु के या बहुमूल्य धातु से अधिपट्टित धातु के हैं
423ख	9102	कलाई घड़ियां, जेब घड़िया और अन्य घड़ियां, जिनके अंतर्गत विराम घड़ियां भी हैं, उनसे भिन्न जो शीर्ष 9101 के अंतर्गत हैं”;

(cxi) क्रम संख्या 424 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“424क	9104	यंत्र पैनल, बड़ी घड़ियां और यानों, वायुयानों, अंतरिक्षयानों या जलयानों के लिए उसी प्रकार की बड़ी घड़ियां”;
-------	------	--

(cxii) क्रम संख्या 425 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“425क	9106	दिन का समय, अभिलेखन साधित्र और समय के अंतरालों को मापने, अभिलिखित करने या अन्यथा उपदर्शित करने के लिए उपकरण, बड़ी घड़ियां या घड़ियों के संचलन तुल्य कालिक मोटर सहित (उदाहरणार्थ समय रजिस्ट्र, समय अभिलेखित्र)
425ख	9107	बड़ी घड़ियों या घड़ियों के संचलन सहित या तुल्यकालिक मोटर सहित टाइम स्विच
425ग	9108	घड़ियों के संचलन, पूर्ण और समंजित”;

(cxiii) क्रम संख्या 427 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"अन्य प्रकार की दीवार घड़ी या कलाई घड़ियों के कलपुर्जे”;

(cxiv) क्रम संख्या 428 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा,-

"पूर्ण कलाई घड़ी या क्लाक मूवमेंटस, अनअसेम्बलड या पार्टली असेम्बलड(मूवमेंटस सेटस); अपूर्ण कलाई घड़ी या क्लाक मूवमेंटस, असेम्बलड; रफ वाच या क्लाक मूवमेंटस”;

(cxv) क्रम संख्या 428 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“428क	9111	घड़ियों के केस और उनके पुर्जे”
-------	------	--------------------------------

(cxvi) क्रम संख्या 429 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“घड़ी के केस और इस अध्याय की अन्य वस्तुओं के लिए केस, और उनके पुर्जे”;

(cxvii) क्रम संख्या 429 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“429क	9113	घड़ी का स्ट्रेप, घड़ी पट्टे और घड़ी ब्रेसलेट तथा उनके पुर्जे
429ख	9201	अन्य घड़ियों के पुर्जे
429ग	9202	पियानो, जिनके अंतर्गत स्वचालित पियानोंहै, हार्पसीकार्ड और अन्य कुंजी फलक तंत्री यंत्र
429घ	9205	अन्य तंत्री वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ गिटार, वायलिन, हार्प)
429ङ	9206 60 00	सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डियन, क्लेरिनेट, तुरही, मशकबीन) फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न
429च	9207	आद्यात वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ ड्रम, काष्ठतरंग, झांझ, करताल, मैराक)
429छ	9208	वाद्य यंत्र जिनकी ध्वनि विद्युत से उत्पादित की जाती है या प्रवर्धित की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ आर्गन, गिटार, अकार्डियन)
429ज	9209	संगीत पेटी, फेयर ग्राउंड आर्गन, यांत्रिकी स्ट्रीट आर्गन, यांत्रिकी सिंगिंग बर्ड, म्युजिकल सास या और अन्य वाद्य यंत्र, जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, सभी प्रकार के डिकाय काल ; सीटी, काल हार्न और मुख से बजाए जाने वाले अन्य ध्वनि संकेती यंत्र”;

(cxviii) क्रम संख्या 435 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

435क	9401[9401 10 00 से भिन्न]	सीटें (उनसे भिन्न जो शीर्ष 9402 की हैं) चाहे वे शैय्या में संपरिवर्तनीय हैं या नहीं, और उनके पुर्जे[एयरक्राफ्ट सीट्स से भिन्न]
------	------------------------------	--

(cxix) क्रम संख्या 437 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“अन्य फर्नीचर और उसे पुर्जे [पूरी तरह से बांस, बेंत या रतन से बना फर्नीचर से भिन्न]”;

(cxx) क्रम संख्या 438 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“गद्दे के आलम्ब, बिछाने की वस्तुएं और वैसे ही साज-सामान (उदाहरणार्थ गद्दे, रजाइयां, ईडर कोमलपिच्छ, गद्दियां, पफ और तकिए) जिनमें स्प्रिंग लगे हैं या जो किसी सामग्री से भारित या आंतरिक रूप से सज्जित हैं या कोशिकीय रबड़ अथवा प्लास्टिक के हैं, चाहे वे आच्छादित हैं या नहीं [कायर उत्पाद, (कायर गद्दे को छोड़कर), गद्दे के टैक्सटाइल सामग्री से बने हुए उत्पाद या रूई वाली रजाइयां से भिन्न]”;

(cxxi) क्रम संख्या 438 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जायेगा,-

“438क	9405	लैंप और प्रकाश फिटिंगे, जिनके अंतर्गत सर्चलाइट और स्पॉट लाइट और उनके पुर्जे भी हैं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं ; प्रदीप्त
-------	------	--

		चिह्न, प्रदीप्त नाम पट्ट और वैसी ही अन्य वस्तुएं जिनमें स्थायी रूप से लगे हुए प्रकाशस्रोत हैं और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [कैरोसीन दबाव लैन्टर्न और गैस धातु सहित कैरोसीन दबाव लैन्टर्न के पुर्जे; हेरीकेन लालटेन, कैरोसीन लैम्प, पेट्रोमैक्स, कांच की चिमनी, और इन सभी के पुर्जे; एलईडी लाइटों और फ्लूरोस्कोप, जिसमें एलईडी लैंप भी हैं; एलईडी (लाइट इमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीडी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड), से भिन्न];
--	--	---

(cxxii) क्रम संख्या 440 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

“440क	9505	उत्सव, कर्निवाल या अन्य मनोरंजन वस्तुएं, जिनके अंतर्गत इन्द्रजालिक कौशल और अनूठे परिहास भी हैं”;
-------	------	--

(cxxiii) क्रम संख्या 441 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स के लिए वस्तुएं और उपस्कर, तरण ताल और पेडलन ताल [खेल के सामान से भिन्न]”;

(cxxiv) क्रम संख्या 441 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

“441क	9508	चक्कर, झूले, निशानेबाजी, दीर्घाए और अन्य मेला स्थल (चल सर्कस और चल प्राणिशालाओं से भिन्न)
441ख	9602	कर्मित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं; मोम की स्टीएरिन की, प्राकृतिक गोंद या प्राकृतिक रेजिन की या प्रतिरूपण पेस्टों की संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं, कर्मित, अकठोरकृत जिलेटिन (शीर्ष सं० 3503 की जिलेटिन को छोड़कर) और अकठोरकृत जिलेटिन की वस्तुएं”;

(cxxv) क्रम संख्या 448 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

“448क	9611	तारीख, मुद्रांकन या संख्यांकन स्टांप, और वैसी ही वस्तुएं (जिनके अंतर्गत लेबलों के मुद्रण या समुद्रभरण के लिए युक्तियां भी हैं) जो हस्तचालन के लिए अभिकल्पित हैं; हस्तचालित कम्पोजन स्टिक और ऐसी कम्पोजन स्टिकों को समावेशित करने वाले हस्तमुद्रण सेट”;
-------	------	--

(cxxvi) क्रम संख्या 449क में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“सिगरेट लाइटर और अन्य लाइटर, चाहे यांत्रिक या वैद्युत हैं या नहीं और उनके पुर्जे, फिल्ट या बत्ती से भिन्न”;

(cxxvii) क्रम संख्या 449क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अतः स्थापित किया जायेगा,-

“449ख	9617	निर्वात-फ्लास्क और अन्य निर्वात वासन, केस सहित पूर्ण; उनके पुर्जे, कांच की अंतर्वस्तु से भिन्न
449ग	9618	दर्जी की डमी और अन्य पुतले ; दुकान की खिड़की की सजावट के लिए उपयोग किए जाने वाले मानवचारी यंत्र और अन्य चेतन प्रदर्शन”;

(cxxviii) क्रम संख्या 452ण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा

“452त	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर माल के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) के उपयोग या उपभोग का अस्थायी या स्थायी अंतरण या उसे अनुज्ञात करना”;
-------	------------	--

(घ) अनुसूची-IV-14% में,-

- (i) क्रम संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 46 में, कालम (3) में शब्द और कोष्ठक “[उनसे भिन्न, जिनका उपयोग बाईसाइकिल और साइकिलरिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा में किया जाता है; और ट्रेक्टर के पिछले टायर ट्यूब]” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “[बाईसाइकिल और साइकिल रिक्शा और तिपहिया शक्ति चालित साइकिल रिक्शा टायर; ट्रेक्टर के टायर; एयर क्राफ्ट टायर से भिन्न]” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 114 में, कालम (3) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा:-
“स्पार्क-इग्निशियन रेसी प्रोकेटिंग या रोटरी इंटरनल कम्बशन पिस्टन इंजन [एयर क्राफ्ट इंजन से भिन्न]”;
- (v) क्रम संख्या 117 में, कालम (3) में शब्द, अंक और कोष्ठक “कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्षी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60] [टैरिफ पद हैंडपंपों से भिन्न के अंतर्गत आने वाले 8413 11 10] को लोप किया जाएगा ;
- (vi) क्रम संख्या 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा ;
- (vii) क्रम संख्या 135 में, कालम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिको प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
“संचारण शाफ्ट (जिनके अंतर्गत कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट हैं) और क्रैंक(सिलाई मशीन के क्रैंक, शाफ्टस से भिन्न); गियर बॉक्स और अन्य गति परिवर्तित जिनके अंतर्गत बलाघुर्ण संपरिवर्तित्र है; गति पालक चक्र और घिनों, जिनके अंतर्गत घिनी ब्लॉक हैं, क्लच और शाफ्ट युग्मक (जिनके अंतर्गत सार्विक जोड़ है) “;
- (viii) क्रम संख्या 136, 137, 138 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (ix) क्रम संख्या 141 में, कालम (3) में, शब्द और अंक “शीर्ष 8508” के पश्चात्, शब्द और कोष्ठक “ [गीली पिसाई की चक्की जिसमें पिसाई पत्थर के साथ की जाती है] को अंतःस्थपित किया जाएगा;

- (x) क्रम संख्या 144, 145, 147, 148, 149, 150 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xi) क्रम संख्या 151 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-
“अंकीय कैमरा और वीडियो कैमरा रिकार्डर (सीसी टीवी से भिन्न);”
- (xii) क्रम संख्या 152, 153 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा ;
- (xiii) क्रम संख्या 154 में , कॉलम (3) में शब्दों “से भिन्न” के स्थान पर शब्दों “और सैट टाप वाक्स जो टैलीविजन के लिए हैं से भिन्न” को अंतःस्थपित किया जायेगा;
- (xiv) क्रम संख्या 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xv) क्रम संख्या 216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 226 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;
- (xvi) क्रम संख्या 228 में कॉलम (2) में प्रविष्टि “-के स्थान पर प्रविष्टि “कोई भी अध्याय” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ड.) अनुसूची -V-1.5 % में , क्रम संख्या 13 में शब्द “मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड” के स्थान पर शब्द और कोष्ठक “मूल्यवान धातुओं से मेटल क्लेड [लाख/शेलाक की चूड़ियों से भिन्न]”को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(च) स्पष्टीकरण में , उपवाक्य (ii) में, उप खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा –

“ (ख) पंजीकृत ब्रांड” नेम से अभिप्राय -

- (क) ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है चाहे इस ब्रांड को बाद में विपंजीकृत किया गया हो या नहीं;
- (ख) काफी राइट एक्ट , 1957 (1957 का 14) के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत ब्रांड नेम से है;
- (ग) देश में तत्समय लागू किसी कानून के अंतर्गत 15 मई, 2017 को या उसके पश्चात् पंजीकृत किसी ब्रांड नेम से है”;

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

रुचि विष्ट, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 34/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1283(अ), दिनांक 13 अक्टूबर सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2017

No. 41/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 1387(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification,—

(A) in Schedule I - 2.5%,-

(i) for S. No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“1	0202,	All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE]” ;
	0203,	
	0204,	
	0205,	
	0206,	
	0207,	
	0208,	
	0209,	
	0210	

(ii) for S. No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“2	0303,	All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and,- (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE]” ;
	0304,	
	0305,	
	0306,	
	0307,	
	0308	

(iii) S. Nos. 3,4,5, 6 and the entries relating thereto shall be omitted;

(iv) in S. No. 16, for the entry in column (3), the entry “All goods [other than fresh or chilled] and put up in unit container and, -

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be substituted;

(v) in S. No. 23, in the entry in column (3) , after the word “frozen”, the words “, put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be inserted;

(vi) in S. No. 26, for the entry in column (3), the entry “Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets, put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be substituted;

(vii) in S. No. 27, for the entry in column (3) ,the entry “Cashew nuts, whether or not shelled or peeled, desiccated coconuts ” shall be substituted;

(viii) in S. No. 30, in the entry in column (3) , after the words “shelled or peeled”, the words “,put up in unit container and,-

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE”, shall be inserted;

(ix) in S. No. 58, in the entry in column (3) , after the words “Meal, powder,” the words “Flour” , shall be inserted;

(x) S. No. 60 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xi) in S. No. 66, in column (3), the words, “other than of seed quality” shall be omitted;

(xii) for S. No. 72 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“72	1210 20 00	Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin” ;
-----	------------	---

(xiii) for S. No. 78 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“78	1404 [other than 1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50, <u>1404 90 60</u>]	Vegetable products not elsewhere specified or included such as, Cotton linters, Soap nuts, Hard seeds, pips, hulls and nuts, of a kind used primarily for carving, Rudraksha seeds [other than bidi wrapper leaves (tendu), betel leaves, Indian katha, coconut shell, unworked] ” ;
-----	--	--

(xiv)) in S. No. 91, in column (3), the words, “khandsari sugar” shall be omitted;

(xv) in S. No. 92, for the entry in column (3), the entry “Palmyra sugar, mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets, gajak, khaja, khajuli, anarsa” shall be substituted;

(xvi) in S. No. 100 A, in column (3), after the words “Roasted Gram”, the words “,idli/dosa batter, chutney powder” shall be inserted;

(xvii) for S. No. 111 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“111	2503	Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur ” ;
------	------	---

(xviii) in S. No. 135, in column (3), after the words, figures and letters “natural boric acid containing not more than 85% of H₃BO₃” the brackets and words “(calculated on dry weight)” shall be inserted;

(ix) after S. No. 156 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“156A	2621	Fly Ash ” ;
-------	------	-------------

(xx) for S. No. 189 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“189	4011 30 00	New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on aircraft”;
------	------------	---

(xxi) after S. No. 197 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“197A	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197B	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197C	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
197D	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
197E	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour” ;

(xxii) after S. No. 218A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“218B	5607	Jute twine, coir cordage or ropes
218C	5608	Knotted netting of twine, cordage or rope; made up fishing nets and other made up nets, of textile materials
218D	5609	Products of coir” ;

(xxiii) after S. No. 219A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“219AA	5806	Narrow woven fabrics, other than goods of heading 5807; narrow fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesive (bolducs) ” ;
--------	------	--

(xxiv) for S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“224	63 [other than 6309]	Other made up textile articles, sets, of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece ” ;
------	----------------------	--

(xxv) after S. No. 224 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“224A	6309	Worn clothing and other worn articles; rags ” ;
-------	------	---

(xxvi) after S. No. 225 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“225A	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content” ;
-------	------	--

(xxvii) after S. No. 230 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“230A	8407 10 00, 8411	Aircraft engines ” ;
-------	------------------	----------------------

(xxviii) in S. No. 234A, for the entry in column (3) ,the entry “E-waste

Explanation: For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer” shall be substituted;

(xxix) after S. No. 257A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“257B	9401 10 00	Aircraft seats ” ;
-------	------------	--------------------

(xxx) for S. No. 259A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

“259A	4016or 9503	Toy balloons made of natural rubber latex
“259B	9507	Fishing hooks
259C	9601	Worked corals other than articles of coral”;

(B) in Schedule II-6%,-

(i) S. Nos. 2,3,4,5,6,7,8,9,10, and the entries relating thereto shall be omitted;

(ii) for S. No. 11 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“11	0402 91 10, 0402 99 20	Condensed milk” ;
-----	------------------------	-------------------

- (iii) in S. No. 14, in column (3), the words “and desiccated coconuts”, shall be omitted;
- (iv) after S. No. 32 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

“32A	1701 91, 1701 99	All goods, including refined sugar containing added flavouring or colouring matter, sugar cubes (other than those which attract 5% or nil GST)
32B	1902	Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared” ;

- (v) in S. No. 43, for the entry in column (3), the entry “Yeasts (active and inactive); other single cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders” shall be substituted;

- (vi) for S. No. 44 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“44	2103	All goods, including Sauces and preparations therefor, mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard, Curry paste, mayonnaise and salad dressings ” ;
-----	------	--

- (vii) in S. No. 45, in column (3), the words “ including idli or dosa batter” shall be omitted;
- (viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“46A	2106 90 91	Diabetic foods ” ;
------	------------	--------------------

- (ix) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“57A	2804 40 10	Medical grade oxygen ” ;
------	------------	--------------------------

- (x) for S. No. 70 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“70	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink” ;
-----	------	---

- (xi) S. No. 71, 86, 87, 88 and the entries relating thereto shall be omitted;

- (xii) for S. Nos. 89, 90 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“89	4202 22 20	Hand bags and shopping bags, of cotton
90	4202 22 30	Hand bags and shopping bags, of jute” ;

- (xiii) in S. No. 139, in column (3), after the words “with rubber or plastics”, the brackets and words “[other than jute twine, coir cordage or ropes]” shall be inserted;
- (xiv) S. No. 140, and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xv) in S. No. 141, in column (3), after the words “specified or included”, the brackets and words “[other than products of coir]” shall be inserted;
- (xvi) S. No. 152, and the entries relating thereto shall be omitted;

(xvii) for S. No. 171 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“171	63[other than 6309]	Other made up textile articles, sets of sale value exceeding Rs. 1000 per piece [other than Worn clothing and other worn articles; rags] ” ;
------	---------------------	---

(xviii) after S. No. 171A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“171B	6505	Hats (knitted/crocheted) or made up from lace or other textile fabrics” ;
-------	------	---

(xix) in S. No. 177, in column (3), the words, “Fly ash bricks” shall be omitted;

(xx) in S. No. 196, in column (3), after the words “sports-ground rollers”, the word, brackets and figures “; Parts [8432 90]” shall be inserted;

(xxi) in S. No. 197, in column (3), after the words and figures “of heading 8437”, the word, brackets and figures “; parts [8433 90 00]” shall be inserted;

(xxii) in S. No. 200, in column (3), for the words “Sewing machines”, the words and figures “Sewing machines, other than book-sewing machine of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machines needles and parts of sewing machines” shall be substituted;

(xxiii) after S. No. 201 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“201A	8509	Wet grinder consisting of stone as a grinder” ;
-------	------	---

(xxiv) after S. No. 207 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“207A	8710	Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles” ;
-------	------	--

(xxv) for S. No. 215 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

“215	9003	Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof” ;
------	------	--

(xxvi) in S. No. 216, in column (3), after the word “corrective”, the brackets and words “[other than goggles for correcting vision]” shall be inserted;

(xxvii) in S. No. 221, for the entry in column (3), the entry “Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses, hearing aids]” shall be substituted;

(xxviii) after S. No. 222 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“222A	9403	Furniture wholly made of bamboo, cane or rattan” ;
-------	------	--

(xxix) in S. No. 231, in the entry in column (3), the words “fishing hooks”, shall be omitted;

(xxx) after S. No. 242 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“243	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right in respect of goods other than Information Technology software”;

(C) in Schedule III-9%,-

- (i) S. No. 1, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) S. No. 10, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iii) in S. No. 12, for the entry in column (3), the entry “Sugar confectionery [other than mishri, batasha, bura, sakar, khadi sakar, harda, sakariya, gatta, kuliya, elaichidana, lukumdana, chikkis like puffed rice chikki, peanut chikki, sesame chikki, til chikki, til patti, til revdi, sugar makhana, groundnut sweets and gajak]” ,shall be substituted;
- (iv) after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“12A	1804	Cocoa butter, fat and oil
12B	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or sweetening matter
12C	1806	Chocolates and other food preparations containing cocoa”;

- (v) in S. No. 13, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“1901 [other than 1901 20 00]	Malt extract, food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of heading 0401 to 0404, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis not elsewhere specified or included [other than mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 1905]”;
----------------------------------	---

- (vi) S. No. 14, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (vii) in S. No. 16, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“1905	Pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products[other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti, bread, rusks, toasted bread and similar toasted products”;
-------	--

- (viii) after S. No. 16 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“16A	2101 11, 2101 12 00	Extracts, essences and concentrates of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee”;
------	------------------------	--

- (ix) S. Nos. 18, 19 and 20 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (x) in S. No. 23, for the entry in column (3), the entry, “Food preparations not elsewhere specified or included [other than roasted gram, sweetmeats, batters including idli/dosa batter, namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, khakhra, chutney powder, diabetic foods]” shall be substituted;

- (xi) after S. No. 24 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“24A	2202 91 00, 2202 99 90	Other non-alcoholic beverages [other than tender coconut water]”;
------	---------------------------	---

- (xii) after S. No. 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“26A	2515 12 20, 2515 12 90	Marble and travertine, other than blocks
26B	2516 12 00	Granite, other than blocks”;

- (xiii) S. No. 27, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xiv) in S. No. 30, for the entry in column (3), the entry “Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste [other than fly ash]” shall be substituted;
- (xv) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“30A	2706	Tar distilled from other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars”;
------	------	---

- (xvi) in S. No. 33, for the entry in column (3), the entry “Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than petroleum crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils; Avgas [other than kerosene PDS, petrol, diesel and ATF, not in GST]” shall be substituted;
- (xvii) in S. No. 52, for the entry in column (3), the entry “Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours, vitrifiable enamels, glazes, engobes (slips), liquid lustres, and other similar preparations of a kind used in ceramic, enamelling or glass industry; glass frit or other glass, in the form of powder, granules or flakes” shall be substituted;
- (xviii) in S. No. 54A, for the entry in column (3), the entry “Artists’, students’ or signboard painters’ colours, modifying tints, amusement colours and the like, in tablets, tubes, jars, bottles, pans or in similar forms or packings” shall be substituted;
- (xix) S. No. 55, and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xx) after S. No. 57 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“57A	3303	Perfumes and toilet waters”;
------	------	------------------------------

- (xxi) in S. No. 58, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3304	Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations; manicure or pedicure preparations [other than kajal, Kumkum, Bindi, Sindur, Alta]”;
-------	---

(xxii) in S. No. 59, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3305	Preparations for use on the hair”;
-------	------------------------------------

(xxiii) in S. No. 60, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3306	Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages [other than tooth powder]”;
-------	--

(xxiv) after S. No. 60 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“60A	3307	Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations, depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or included; prepared room deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties [other than odoriferous preparations which operate by burning, agarbattis, lobhan, dhoop batti, dhoop, sambhrani]”;
------	------	--

(xxv) in S. No. 61, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“3401	Soap; organic surface-active products and preparations for use as soap, in the form of bars, cakes, moulded pieces or shapes, whether or not containing soap; organic surface active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap; paper, wadding, felt and nonwovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent”;
-------	---

(xxvi) after S. No. 61 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“61A	3402	Organic surface-active agents (other than soap); surface-active preparations, washing preparations (including auxiliary washing preparations) and cleaning preparations, whether or not containing soap, other than those of heading 3401 [other than Sulphonated castor oil, fish oil or sperm oil]
61B	3403	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals”;

(xxvii) after S. No. 62 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“62A	3405	Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal, scouring pastes and powders and similar preparations (whether or not in the form of paper, wadding, felt, nonwovens, cellular plastics or cellular rubber, impregnated, coated or covered with such preparations), excluding waxes of heading 3404”;
------	------	---

(xxviii) after S. No. 71 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“71A	3602	Prepared explosives, other than propellant powders; such as Industrial explosives”;
------	------	---

(xxix) after S. No. 72 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“72A	3604	Fireworks, signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles”;
------	------	--

(xxx) after S. No. 73 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“73A	3606	Ferro-cerium and other pyrophoric alloys in all forms; articles of combustible materials as specified in Note 2 to this Chapter; such as liquid or liquefied-gas fuels in containers of a kind used for filling or refilling cigarette or similar lighters”;
------	------	--

(xxxi) after S. No. 89 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“89A	3811	Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils”;
------	------	---

(xxxii) after S. No. 90 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“90A	3813	Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenades
90B	3814	Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers”;

(xxxiii) after S. No. 94 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“94A	3819	Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
94B	3820	Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids”;

(xxxiv) after S. No. 104 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“104A	3918	Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics”;
-------	------	--

(xxxv) after S. No. 107 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“107A	3922	Baths, shower baths, sinks, wash basins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware of plastics”;
-------	------	---

(xxxvi) in S. No. 111, for the entry in column (3), the entry “Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914 [other than bangles of plastic, plastic beads and feeding bottles]” shall be substituted;

(xxxvii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“121A	4013	Inner tubes of rubber [other than of a kind used on/in bicycles, cycle-rickshaws and three wheeled powered cycle rickshaws; and Rear Tractor tyre tubes]”;
-------	------	--

(xxxviii) in S. No. 123A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“4016		Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber [other than erasers, rubber bands]”;
-------	--	---

(xxxix) after S. No. 123A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“123B	4017	Hard rubber (for example ebonite) in all forms, other than waste and scrap; articles of hard rubber
123C	4201	Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material”;

(xl) in S. No. 124, for the entry in column (3), the entry “Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, brief-cases, school satchels, spectacle cases, binocular cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and similar containers; travelling-bags, insulated food or beverages bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping bags, wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco- pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar containers, of leather, of sheeting of plastics, of textile materials, of vulcanised fibre or of paperboard, or wholly or mainly covered with such materials or with paper [other than handbags and shopping bags, of cotton or jute]” shall be substituted;

(xli) after S. No. 124 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“124A	4203	Articles of apparel and clothing accessories, of leather or of composition leather [other than gloves specially designed for use in sports]
124B	4205	Other articles of leather or of composition leather

124C	4206	Articles of gut (other than silk-worm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons”;
------	------	---

(xlii) S. No. 125, 126, 127, 128, 129 and 130 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xliii) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“132A	4303	Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin”;
-------	------	---

(xliv) in S. No. 133, for the entry in column (3), the entry “Artificial fur and articles thereof” shall be substituted;

(xlv) after S. No. 137 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“137A	4410	Particle board, Oriented Strand Board and similar board (for example, wafer board) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances, other than specified boards
137B	4411	Fibre board of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances, other than specified boards
137C	4412	Plywood, veneered panels and similar laminated wood
137D	4413	Densified wood, in blocks, plates, strips, or profile shapes
137E	4414	Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects
137F	4418	Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes
137G	4421	Wood paving blocks, articles of densified wood not elsewhere included or specified, Parts of domestic decorative articles used as tableware and kitchenware”;

(xlvi) after S. No. 150 and the entries relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely: -

“150A	4814	Wall paper and similar wall coverings; window transparencies of paper”;
-------	------	---

(xlvii) after S. No. 153 and the entries relating thereto, the following serial number and the entry shall be inserted, namely: -

“153A	4819 20	Cartons, boxes and cases of non-corrugated paper or paper board”;
-------	---------	---

(xlviii) in S. No. 175, for the entry in column (3), the entry “Other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed; hair-nets of any material, whether or not lined or trimmed” shall be substituted;

(xlix) in S. No. 177 A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“6702		Artificial flowers, foliage and fruit and parts thereof; articles made of artificial flowers, foliage or fruit”;
-------	--	--

- (l) after S. No. 177A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“177B	6703	Wool or other animal hair or other textile materials, prepared for use in making wigs or the like
177C	6704	Wigs, false beards, eyebrows and eyelashes, switches and the like, of human or animal hair or of textile materials; articles of human hair not elsewhere specified or included
177D	6801	Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)
177E	6802	Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and power, of natural stone (including slate) [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]
177F	6803	Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate”;

- (li) after S. No. 180 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“180A	6807	Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch)
180B	6808	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders
180C	6809	Articles of plaster or of compositions based on plaster; such as Boards, sheets, panels, tiles and similar articles, not ornamented”;

- (lii) in S. No. 181, for the entry in column (3), the entry “Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced” shall be substituted;

- (liii) after S. No. 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“182A	6812	Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813
182B	6813	Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textiles or other materials
182C	6814	Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials
182D	6815	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included [other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly

		ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]
182E	6901	Blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite or diatomite) or of similar siliceous earths”;

(liv) after S. No. 184 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“184A	6904	Ceramic flooring blocks, support or filler tiles and the like
184B	6905	Chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods”;

(lv) in S. No. 185, for the entry in column (3), the entry “Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings” shall be substituted;

(lvi) after S. No. 185 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“185A	6907	Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles; ceramic mosaic cubes and the like, whether or not on a backing; finishing ceramics
185B	6909	Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses; ceramic troughs, tubs and similar receptacles of a kind used in agriculture; ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods
185C	6910	Ceramic sinks, wash basins, wash basin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing cisterns, urinals and similar sanitary fixtures
185D	6914	Other ceramic articles”;

(lvii) after S. No. 189 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“189A	7003	Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189B	7004	Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189C	7005	Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked
189D	7006 00 00	Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials
189E	7007	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass
189F	7008	Multiple-walled insulating units of glass
189G	7009	Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors”;

- (lviii) after S. No. 190 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“190A	7011	Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like”;
-------	------	---

- (lix) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“191A	7014	Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically worked”;
-------	------	---

- (lx) after S. No. 192 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“192A	7016	Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multi-cellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms”;
-------	------	---

- (lxi) after S. No. 195 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“195A	7020	Other articles of glass [other than Globes for lamps and lanterns, Founts for kerosene wick lamps, Glass chimneys for lamps and lanterns]”;
-------	------	---

- (lxii) in S. No. 235, for the entry in column (3), the entry “Stoves, ranges, grates, cookers (including those with subsidiary boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers and similar non-electric domestic appliances, and parts thereof, of iron or steel [other than Kerosene burners, kerosene stoves and wood burning stoves of iron or steel]” shall be substituted;

- (lxiii) after S. No. 235 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“235A	7322	Radiators for central heating, not electrically heated, and parts thereof, of iron or steel; air heaters and hot air distributors (including distributors which can also distribute fresh or conditioned air), not electrically heated, incorporating a motor-driven fan or blower, and parts thereof, of iron or steel”;
-------	------	---

- (lxiv) after S. No. 236 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“236A	7324	Sanitary ware and parts thereof, of iron and steel”;
-------	------	--

- (lxv) in S. No. 237, for the entry in column (3), the entry “Other cast articles of iron or steel” shall be substituted;

- (lxvi) in S. No. 238, for the entry in column (3), the entry “Other articles of iron or steel” shall be substituted;

(lxvii) after S. No. 252 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“252A	7418	All goods [other than table, kitchen or other household articles of copper; Utensils]”;
-------	------	---

(lxviii) in S. No. 253, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“7419		Other articles of copper”;
-------	--	----------------------------

(lxix) in S. No. 262, for the entry in column no. 3, the entry “Unwrought Aluminium” shall be substituted;

(lxx) in S. No. 271, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“7610		Aluminium structures (excluding prefabricated buildings of heading 9406) and parts of structures (for example, bridges and bridge-sections, towers, lattice masts, roofs, roofing frameworks, balustrades, pillars and columns); aluminium plates, rods, profiles, tubes and the like, prepared for use in structures”;
-------	--	---

(lxxi) in S. No. 275, for the entry in column (3), the entry “Stranded wires, cables, plaited bands and the like, of aluminium, not electrically insulated” shall be substituted;

(lxxii) after S. No. 275 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“275A	7615	All goods [other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils]”;
-------	------	---

(lxxiii) after S. No. 301 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“301A	8212	Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips)”;
-------	------	--

(lxxiv) after S. No. 302 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“302A	8214	Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives,); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files) [other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]”;
-------	------	--

(lxxv) in S. No. 303A, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“8302		Base metal mountings, fittings and similar articles suitable for furniture, doors, staircases, windows, blinds, coachwork, saddlery, trunks, chests, caskets or the like; base metal hat-racks, hat-pegs, brackets and similar fixtures; castors with mountings of base metal; automatic door closers of base metal”;
-------	--	---

(lxxvi) after S. No. 303A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“303B	8303	Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal
303C	8304	Filing cabinets, card-index cabinets, paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture of heading 9403
303D	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal”;

(lxxvii) after S. No. 307 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“307A	8310	Sign-plates, name-plates, address-plates and similar plates, numbers, letters and other symbols, of base metal, excluding those of heading 9405”;
-------	------	---

(lxxviii) in S. No. 316, for the entry in column (3), the “Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines [other than aircraft engines]” shall be substituted;

(lxxix) after S. No. 317 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“317A	8413	Concrete pumps [8413 40 00], other rotary positive displacement pumps [8413 60]
317B	8414	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters [other than bicycle pumps, other hand pumps and parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps]”;

(lxxx) in S. No. 320, for the entry in columns (2) and (3), the following entries shall be substituted, namely:-

“8419		Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric [other than Solar water heater and system]”;
-------	--	--

(lxxxii) in S. No. 324, for the entry in column (3), the entry “Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 centigrams or better), including weight operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds” shall be substituted;

(lxxxiii) in S. No. 325, for the entry in column (3), the entry “Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and

similar jet projecting machines [other than and Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers]” shall be substituted;

(lxxxiii) after S. No. 327 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“327A	8427	Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
327B	8428	Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics)
327C	8429	Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and road rollers
327D	8430	Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; pile-drivers and pile-extractors; snow-ploughs and snow-blowers”;

(lxxxiv) in S. No. 335, for the entry in column (3), the entry “Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof” shall be substituted;

(lxxxv) in S. No. 361, for the entry in column (3), the entry “Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin sorting machines, coin counting or wrapping machines, pencil sharpening machines, perforating or stapling machines) [other than Braille typewriters, electric or non-electric]” shall be substituted;

(lxxxvi) after S. No. 364 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“364A	8476	Automatic goods-vending machines (for example, postage stamps, cigarette, food or beverage machines), including money changing machines”;
-------	------	---

(lxxxvii) after S. No. 365 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“365A	8478	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter”;
-------	------	---

(lxxxviii) in S. No. 366, for the entry in column (3), the entry “Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this Chapter [other than Composting Machines]” shall be substituted;

(lxxxix) in S. No. 369A, for the entry in column (3), the entry “Crank shaft for sewing machine, bearing housings; plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws” shall be substituted;

(xc) after S. No. 369A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“369B	8484	Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals”;
-------	------	---

- (xci) in S. No. 375, for the entry in column (3), the entry “Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors” shall be substituted;
- (xcii) after S. No. 376 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“376A	8506	Primary cells and primary batteries
376B	8512	Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles
376C	8513	Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512”;

- (xciii) in S. No. 379, for the entry in column (3), the entry “Telephone sets; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528 [other than telephones for cellular networks or for other wireless networks]” shall be substituted;
- (xciv) in S. No. 380, for the entry in column (3), the entry “Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier set” shall be substituted;
- (xcv) after S. No. 380 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“380A	8519	Sound recording or reproducing apparatus”;
-------	------	--

- (xcvi) after S. No. 381 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“381A	8522	Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 or 8521”;
-------	------	--

- (xcvii) in S. No. 383, for the entry in column (3), the entry “Closed-circuit television (CCTV), transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras [other than two-way radio (Walkie talkie) used by defence, police and paramilitary forces etc]” shall be substituted;
- (xcviii) after S. No. 383 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“383A	8526	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
383B	8527	Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock”;

- (xcix) after S. No. 384 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“384A	8529	Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
384B	8530	Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608)
384C	8531	Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530”;

(c) after S. No. 388 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“388A	8536	Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp-holders, and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1,000 volts : connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables
388B	8537	Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517”;

(ci) in S. No. 390, for the entry in column (3), the entry “Electrical Filament or discharge lamps including sealed beam lamp units and ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps [other than LED lamps]” shall be substituted;

(cii) in S. No. 395, for the entry in column (3), the entry “Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including co-axial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors” shall be substituted;

(ciii) in S. No. 396, for the entry in column (3), the entry “Carbon electrodes, carbon brushes, Lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes” shall be substituted;

(civ) after S. No. 397 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“397A	8547	Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for the purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material”;
-------	------	--

(cv) S. No. 410, and the entries relating thereto, shall be omitted;

(cvi) in S. No. 411, for the entry in column (3), the entry “Spectacles [other than corrective]; goggles including those for correcting vision” shall be substituted;

(cvii) after S. No. 411 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“411A	9005	Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy
411B	9006	Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539
411C	9007	Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus
411D	9008	Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers
411E	9010	Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this Chapter; negatoscopes; projection screens
411F	9011	Compound optical microscopes, including those for photomicrography cinephotomicrography or microprojection
411G	9012	Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus
411H	9013	Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this Chapter
411-I	9014	Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances
411J	9015	Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders”;

(cviii) in S. No. 412, for the entry in column (3), the entry “Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights” shall be substituted;

(cix) after S. No. 413 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“413A	9022	Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations [other than those for medical, surgical, dental or veterinary uses], including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examinations or treatment tables, chairs and the like
413B	9023	Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses”;

- (cx) after S. No. 423 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“423A	9101	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal
423B	9102	Wrist-watches, pocket-watches and other watches, including stop watches, other than those of heading 9101”;

- (cxi) after S. No. 424 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“424A	9104	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels”;
-------	------	--

- (cxii) after S. No. 425 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“425A	9106	Time of day recording apparatus and apparatus for measuring, recording or otherwise indicating intervals of time, with clock or watch movement or with synchronous motor (for example, time-registers, time-recorders)
425B	9107	Time switches with clock or watch movement or with synchronous motor
425C	9108	Watch movements, complete and assembled”;

- (cxiii) in S. No. 427, for the entry in column (3), the entry “Other clock or watch parts” shall be substituted;

- (cxiv) in S. No. 428, for the entry in column (3), the entry “Complete watch or clock movements, unassembled or partly assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements, assembled; rough watch or clock movements” shall be substituted;

- (cxv) after S. No. 428 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“428A	9111	Watch cases and parts thereof”;
-------	------	---------------------------------

- (cxvi) in S. No. 429, for the entry in column (3), the entry “Clock cases and cases of a similar type for other goods of this chapter, and parts thereof” shall be substituted;

- (cxvii) after S. No. 429 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“429A	9113	Watch straps, watch bands and watch bracelets, and parts thereof”;
429B	9201	Pianos, including automatic pianos; harpsi-chords and other keyboard stringed instruments
429C	9202	Other string musical instruments (for example, guitars, violins, harps)
429D	9205	Wind musical instruments (for example, keyboard pipe organs, accordions, clarinets, trumpets, bagpipes), other than fairground organs and mechanical street organs

429E	9206 00 00	Percussion musical instruments (for example, drums, xylophones, cymbols, castanets, maracas)
429F	9207	Musical instruments, the sound of which is produced, or must be amplified, electrically (for example, organs, guitars, accordions)
429G	9208	Musical boxes, fairground organs, mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and other musical instruments not falling within any other heading of this chapter; decoy calls of all kinds; whistles, call horns and other mouth-blown sound signalling instruments
429H	9209	Parts (for example, mechanisms for musical boxes) and accessories (for example, cards, discs and rolls for mechanical instruments) of musical instruments; metronomes, tuning forks and pitch pipes of all kinds”;

(cxviii) after S. No. 435 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“435A	9401 [other than 9401 10 00]	Seats (other than those of heading 9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof [other than seats of a kind used for aircraft]”;
-------	------------------------------	--

(cxix) in S. No. 437, for the entry in column (3), the entry “Other furniture [other than furniture wholly made of bamboo, cane or rattan] and parts thereof” shall be substituted;

(cxx) in S. No. 438, for the entry in column (3), the entry “Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics, whether or not covered [other than coir products (except coir mattresses), products wholly made of quilted textile materials and cotton quilts]” shall be substituted;

(cxxi) after S. No. 438 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“438A	9405	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included [other than kerosene pressure lantern and parts thereof including gas mantles; hurricane lanterns, kerosene lamp, petromax, glass chimney, and parts thereof; LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)]”;
-------	------	---

(cxxii) after S. No. 440 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“440A	9505	Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring tricks and novelty jokes”;
-------	------	---

(cxxiii) in S. No. 441, for the entry in column (3), the entry “Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, swimming pools and padding pools [other than sports goods]” shall be substituted;

(cxxiv) after S. No. 441 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“441A	9508	Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; [other than travelling circuses and travelling menageries]
441B	9602	Worked vegetable or mineral carving material and articles of these materials moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural gums or natural resins or of modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere specified or included; worked, unhardened gelatin (except gelatin of heading 3503) and articles of unhardened gelatin”;

(cxxv) after S. No. 448 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

“448A	9611	Date, sealing or numbering stamps, and the like (including devices for printing or embossing labels), designed for operating in the hand; hand-operated composing sticks and hand printing sets incorporating such composing sticks”;
-------	------	---

(cxxvi) in S. No. 449A, for the entry in column no. 3, the entry “Cigarette lighters and other lighters, whether or not mechanical or electrical, and parts thereof other than flints or wicks” shall be substituted;

(cxxvii) after S. No. 449A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

“449B	9617	Vacuum flasks and other vacuum vessels, complete with cases; parts thereof other than glass inners
449C	9618	Tailors' dummies and other lay figures; automata and other animated displays, used for shop window dressing”;

(cxxviii) after S. No. 452O and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“452P	Any Chapter	Permanent transfer of Intellectual Property (IP) right in respect of Information Technology software” ;
-------	-------------	---

(D) in Schedule-IV-14%, -

- (i) S. Nos. 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ii) in S.No. 46, in column (3), for the words in the brackets, “and Rear Tractor tyres”, the words “rear tractor tyres; and of a kind used on aircraft”, shall be added;
- (iii) S. Nos. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (iv) in S. No. 114, for the entry in column (3), the entry “Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engine [other than aircraft engines]” shall be substituted;
- (v) in S.No. 117, in column (3), the words, figures and brackets “concrete pumps [8413 40 00], other rotary positive displacement pumps [8413 60], [other than hand pumps falling under tariff item 8413 11 10]” shall be omitted;

- (vi) S. Nos. 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (vii) in S.No. 135, for the entry in column (3), the entry “Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks (excluding crankshaft for sewing machine); gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)” shall be substituted;
- (viii) S. Nos. 136, 137, 138 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (ix) in S.No. 141, in column (3), after the words and figures “heading 8508” the words and brackets “[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]” shall be added;
- (x) S. Nos. 144, 145, 147, 148, 149, 150 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xi) in S.No. 151, for the entry in column (3), the entry “Digital cameras and video camera recorders [other than CCTV]” shall be substituted;
- (xii) S. Nos. 152, 153 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xiii) in S.No. 154, in column (3), after the words and figures in the brackets, “not exceeding 20 inches”, the words “ ; and set top box for television” shall be added;
- (xiv) S. Nos. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 172, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xv) S. Nos. 216, 217, 218, 220, 221, 222, 225, 226 and the entries relating thereto, shall be omitted;
- (xvi) in S.No. 228, for the entry “-” in column (2), the entry “Any Chapter” shall be substituted.
- (E) in Schedule-V-1.5%, in S. No. 13, for the words “of metal clad with precious metal”, the words and brackets “of metal clad with precious metal [other than bangles of lac/shellac]”, shall be substituted;
- (F) in the explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following shall be substituted, namely:-
- “(b) The phrase “registered brand name” means,-
- (A) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently de-registered;
- (B) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);
- (C) a brand registered as on the 15th May 2017 or thereafter under any law for the time being in force in any other country.”;
2. This notification shall come into force on the 15th day of November 2017.

[F. No. 354/320/2017-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 34/2017-Central Tax(Rate) dated 13th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number GSR 1283 (E), dated the 13th October, 2017.